

# राष्ट्रीय संस्कृति निधि National Culture Fund

वार्षिक रिपोर्ट  
Annual Report

2010-11

Public private Partnerships Cultural diversity and heritage  
Leadership holistic development Management of Monumen  
Intangible Heritage Conservation and managemen  
Education National development Publications Visitors Facilitie  
Corporate Social Responsibility Community Participation  
Landscape and preservation of environment Art and Architecture  
Society Development Documentation Disaster Managemen  
Public private Partnerships Cultural diversity and heritage  
Leadership holistic development Management of Monumen  
Intangible Heritage Conservation and managemen  
Education National development Publications Visitors Facilities  
Corporate Social Responsibility Community Participation  
Landscape and preservation of environment Art and Architecture  
Society Development Documentation Disaster Managemen  
Public private Partnerships Cultural diversity and heritage  
Leadership holistic development Management of Monumen  
Intangible Heritage Conservation and managemen  
Education National development Publications Visitors Facilities

# वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011



राष्ट्रीय संस्कृति निधि

संस्कृति मंत्रालय  
भारत सरकार

द्वितीय तल, प्रशास न्यूविंग  
एज.जी.एम.ऐ. जयपुर हाउस  
नई दिल्ली - 110003

दूरभाष: +91-11-23386835, 23385569  
टेलीफैक्स: +91-11-23386869  
ईमेल: ncfmanager\_2007@yahoo.co.in  
www.ncf.nic.in



## प्राक्कथन

राष्ट्रीय संस्कृति निधि की 2010-2011 की वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान एन सी एफ (राष्ट्रीय संस्कृति निधि) की मुख्य गतिविधियों का एक संक्षिप्त विवरण समाहित है। एन सी एफ के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुरूप, वर्ष के दौरान कुछेक नई परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया इस तरह के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक एजेंसियों का समर्थन प्राप्त किया जा रहा है।

वर्ष 2010-11 के दौरान, राष्ट्रीय संस्कृति निधि ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) जैसे— मेसर्स ओ एन जी सी—आहोम स्मारक, असम और भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता शाखा—हजारद्वारी महल, परिश्चम बंगाल के साथ अनेक समझौता—ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है।

यह भी महसूस किया गया कि एन सी एफ को अमूर्त विरासत के परिरक्षण और लुप्तप्राय मंच कलाओं के संवर्धन और उनके कर्ताओं के लिए सहयोग देना चाहिए। इसीलिए इसने क्रमशः मेसर्स दर्पण अकादमी, अहमदाबाद और मेसर्स सार्थ के सहयोग से प्रख्यात कलाकारों जैसे—श्रीमती मृणालिनि साराभाई और श्रीमती किशोरी अमोनकर के योगदानों संबंधी प्रलेखन के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं। एन सी एफ ने देहरादून, उत्तराखंड में 'विरासत' नामक मंच कला समारोह आयोजित करने के लिए मेसर्स रीच फाउंडेशन को सहयोग भी दिया।

सहयोगी सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा सांस्कृतिक संस्थानों के क्षमता विकास के लिए अपने प्रयासों में, राष्ट्रीय संग्रहालय, एन जी एम ए तथा स्वतंत्रता के बाद की अवधि के अभिलेखों/फोटो संग्रह के संरक्षण के लिए मेसर्स इंडिया आर्काइव फाउंडेशन के साथ परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

एनसीएफ की कार्यशैली को मुख्य धारा में लाने तथा इसकी परियोजनाओं के प्रबंधन एवं निगरानी के क्रम में मेसर्स इनसाइट बिजनेस कंसलटेंसी एक व्यावसायिक परामर्शदात्री फर्म की सेवाएं प्राप्त की गईं ताकि संगठन के लिए एक पुनर्गठन योजना तैयार की जाए। इनसाइट के द्वारा अगस्त, 2009 में रिपोर्ट जमा की गई थी और उन्होंने एन सी एफ की परियोजना प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता के सुधार हेतु एक रणनीति बताई थी। इस रिपोर्ट की संस्तुतियों में एक स्वायत्त परिचालनात्मक ढांचे की स्थापना, वरिष्ठ प्रबंधन स्टाफ, प्रर्याप्त कार्यालय स्थान, कार्मिकों की अवधि का औचित्यीकरण एन सी एफ की वर्तमान परियोजनाओं को पूरा करना तथा आगामी वर्षों के लिए व्यवसाय योजना तथा बजट तैयार करना शामिल था।

परामर्शदात्री फर्म ने यह भी जोर दिया कि इन सी एफ की सक्षमता को बढ़ाने तथा इसे संस्कृति के क्षेत्र में एक प्रमुख दावेदार के रूप में पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। रिपोर्ट के आधार पर, पी एम ओ द्वारा एनसीएफ में एक प्रमुख प्रचालन अधिकारी तथा दो वरिष्ठ प्रबंधकों के पदों के सृजन का अनुमोदन प्रदान किया गया था। इनके चुनाव की प्रक्रिया वर्ष 2010-2011 में शुरू की गई और ये तीनों अधिकारी वर्ष 2011-2012 के प्रारंभ में पदस्थापित हो गए थे। एनसीएफ कार्यालय एन जी एम ए, जयपुर हाउस के नए अस्थायी परिसर में ले जाया गया था और पुनः निर्माण प्रक्रिया शुरू की गई है।

सचिव,  
संस्कृति मंत्रालय/अध्यक्ष (पदेन)  
कार्यकारी समिति, एन सी एफ



## विषय-सूची

राष्ट्रीय संस्कृति निधि का परिचय.....	07
राष्ट्रीय संस्कृति निधि की संरचना.....	09
वर्ष 2010-11 के दौरान कार्यकलाप.....	10
जारी परियोजनाएं.....	14
वर्ष 2010-11 के लेखा परीक्षित लेखे.....	24



## प्रस्तावना

राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ), की स्थापना भारत के राजपत्र में प्रकाशित गजट अधिसूचना के माध्यम से धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम, 1890 के अंतर्गत न्यास के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति विभाग, भारत सरकार द्वारा की गई थी।

इसमें भारतीय संस्कृति प्रदर्शन संबंधी सबसे महत्वपूर्ण नवाचार संघटित हैं। यह संस्कृति संबंधित प्रयासों के लिए सार्वजनिक/निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए लोगों की बौद्धिक और वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता प्राप्त करने का तंत्र है। संस्कृति, जैसा कि इसके समग्र अभिधानों में समझा जाता है, मूर्त और अमूर्त विरासत को समाहित करता है।

इसकी, अपने संरक्षण के अंतर्गत अधिकृत कार्यकलापों के लिए भारतीय संसद और दानकर्ताओं के प्रति अंतर्निहित जिम्मेदारी है। व्यापक रूप में, एनसीएफ, संस्कृति के क्षेत्र में समग्र उदारीकरण की नीति स्थापित करता है। इस प्रकार यह नियमित और सार्वजनिक क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों के साथ सहभागिता में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा, जिससे वे विरासत स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण और विकास, मौखिक और अमूर्त संस्कृति अभिव्यक्ति का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण; अंतर-विषयक अनुसंधान; नई दीर्घाएं, संग्रहालयों का सृजन और सांस्कृतिक कार्यकलापों में प्रशिक्षण के प्रति योगदान कर सकें।

### 2. प्रबंधन एवं प्रशासन

राष्ट्रीय संस्कृति निधि का प्रबंधन एक परिषद एवं कार्यकारी समिति के द्वारा किया जाता है। परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 24 की है, जिसमें अधिकतम उन्नीस प्रख्यात सदस्य निगमित एवं सार्वजनिक क्षेत्र, निजी प्रतिष्ठानों एवं गैर लाभकारी संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इस परिषद के अध्यक्ष माननीय संस्कृति मंत्री हैं। कार्यकारी समिति की अध्यक्षता सचिव, संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जाती है।

प्रत्येक परियोजना का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से परियोजना कार्यान्वयन समिति (पी आई सी) द्वारा किया जाता है जिसमें दानकर्ताओं/अंशदानकर्ताओं/सह प्रवर्तकों/कार्यान्वयन एजेंसियों का यथोचित प्रतिनिधित्व है। परियोजना कार्यान्वयन समिति में एन सी एफ का प्रतिनिधित्व होता है और यथा आवश्यक नागरिक प्राधिकारी एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि भी होते हैं। प्रत्येक परियोजना के लिए एक अलग संयुक्त बैंक खाता होता है जो एन सी एफ के प्रतिनिधि तथा दानदाता/निधियन एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा परिचालित होता है। प्रत्येक परियोजना के खाते का विवरण एन सी एफ के खाते में समन्वित होता है जिसका वार्षिक आधार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है।

#### एन सी एफ के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- संरक्षित स्मारकों या अन्य स्मारकों के परिरक्षण, अनुरक्षण, संवर्धन, संरक्षण, उन्नयन एवं विकास के लिए निधियां जुटाना एवं उपयोग करना।
- सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासतों के पुनर्वास के लिए कलात्मक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी समस्याओं पर अनुसंधान एवं अध्ययन शुरू करना।
- सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में व्यावसायिकों एवं स्टाफ कर्मियों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।
- कलात्मक प्रयत्नों के सभी स्वरूपों विशेषकर कलाओं में नवाचारी प्रयोगों को संरक्षित करना एवं बढ़ावा देना।
- विद्यमान संग्रहालयों में अतिरिक्त जगह बनाना तथा नवीन एवं विशिष्ट गैलरियां सृजित करने या समाहित करने हेतु नए संग्रहालय का निर्माण करना।
- समाज का सांस्कृतिक विकास एवं प्रगति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय, नगर-निकायों अथवा क्षेत्रीय स्तर पर रणनीतियां बनाना।
- सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संवर्धन एवं परिरक्षण में संलग्न संगठनों, सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं को संसाधन उपलब्ध कराना।
- भारत एवं अन्य देशों के बीच अनुबंधित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के दायरे में स्वदेशी विशेषज्ञता, मानव संसाधन तथा कार्यकलापों के विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- विरासतों के संरक्षण के लिए परियोजनाओं या किसी अन्य गतिविधि के लिए कम ब्याज पर, यहां तक कि ब्याज रहित ऋण के लिए निधि उपलब्ध कराना।

### राष्ट्रीय संस्कृति निधि दानकर्ताओं के लिए लाभ

- i) राष्ट्रीय संस्कृति निधि हेतु दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (ii) के अंतर्गत 100 प्रतिशत कर छूट के पात्र हैं।
- ii) एन सी एफ आयकर छूट की रसीद जारी करता है और प्राप्त दान राशियों के उपयोग का विस्तृत लेखा-जोखा प्रदान करता है।
- iii) एन सी एफ के पास एक एफ.सी.आर.ए. खाता है और सभी विदेशी दान विदेशी भागीदारी विनियमन अधिनियम के तहत अपेक्षित क्लीयरेंस लेने के बाद प्राप्त किए जा सकते हैं।
- iv) एन सी एफ समझौता ज्ञापन के माध्यम से परियोजना प्रबंधन में सुनम्यता प्रदान करता है।
- v) परियोजनाओं को एक संयुक्त परियोजना कार्यान्वयन समिति (पी आई सी) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।
- vi) प्रत्येक विकास स्थल पर पट्टिका लगाने का प्रावधान किया गया है जो दानदाताओं, सहयोगकर्ताओं, तथा भागीदारों के प्रतिदान को सुगम बनाता है।

### परियोजनाओं का केन्द्र बिन्दु

एन सी एफ परियोजनाएं निम्नलिखित के माध्यम से हमारी राष्ट्रीय मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करती हैं ;

- i) स्मारकों में दर्शनीय सुधार, ऐतिहासिक स्थलों, विरासत परिसरों एवं उनके पर्यावरणीय विकास के बारे में परियोजनाओं एवं प्रायोजनों के लिए सक्रिय निष्पत्ति।
- ii) स्थानीय समुदायों की संस्कृति एवं जीवन शैली में स्मारकों को पुनः समाहित करना।
- iii) विरासत स्थलों के आस-पास एवं अंदर पर्यावरणात्मक विकास।
- iv) स्मारकों का ढांचागत संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण तथा पुनर्संज्जीकरण।
- v) सांस्कृतिक सूचना पट्टियों, दिशा-निर्देश पट्टियों तथा दानदाताओं को श्रेय देने वाले संकेत पट्टियों को लगाना।
- vi) विरासत स्थलों पर दर्शक अनुकूल सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- vii) विद्यमान संग्रहालयों में सुधार एवं उन्नयन तथा विद्यमान सांस्कृतिक स्थलों के दायरे में नए संग्रहालयों को आरंभ करना।
- viii) स्मारकों को प्रकाश युक्त बनाना।
- ix) पर्यटकों को सुविधाओं जैसे कैफेटीरिया, पार्किंग स्थल, भू-दृश्य का प्रावधान करना, सूचना केन्द्र, कियोस्क, साइबर कैफे, स्मारिका शॉप/स्थल स्थापित करना।

# राष्ट्रीय संस्कृति निधि की संरचना

## परिषद

### 1. अध्यक्ष

**श्री मनमोहन सिंह**  
(1 अप्रैल, 2010 से 19 जनवरी, 2011)  
संस्कृति मंत्री (माननीय प्रधानमंत्री)  
(पदेन)

**कुमारी सैलजा**  
(20 जनवरी, 2011 से)  
संस्कृति मंत्री (पदेन)

## सदस्य

2. **श्री जवाहर सरकार**  
सचिव, संस्कृति मंत्रालय (पदेन)
3. **सुश्री दीपाली खन्ना**  
वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय (पदेन)
4. **श्री विजय एस मदान**  
संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय (पदेन)
5. **श्री ओपी जैन**  
अध्यक्ष, संस्कृति प्रतिष्ठान, दिल्ली
6. **सुश्री संगीता जिंदल**  
अध्यक्ष, हम्पी फाउंडेशन, मुंबई
7. **श्री तरुणदास**  
मुख्य परामर्शदाता (मैंटर), भारतीय उद्योग संघ, गुडगांव
8. **श्री आर के कृष्ण कुमार**  
उपाध्यक्ष, मेसर्स इंडियन होटल्स कंपनी लि., मुंबई
9. **श्री हर्ष गोयनका**  
अध्यक्ष, आर पी जी इंटरप्राइजेज, मुंबई
10. **श्रीमती सुधा मूर्ति**  
इंफोसिस फाउंडेशन, बेंगलूरु
11. **श्रीमती राखी सरकार**  
निदेशक, अंतरराष्ट्रीय आधुनिक कला केन्द्र, कोलकाता
12. **श्री एस के रूंगटा**  
अध्यक्ष, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., दिल्ली
13. **श्रीमती अमिता बेग**  
विरासत प्रबंधन परामर्शदात्री, दिल्ली

14. **डा. किरन सेठ**  
स्पिक मैके, दिल्ली

15. **सुश्री मालविका सिंह**  
संपादक, सेमिनार, दिल्ली

16. **श्री अमरेश सिंह**  
निदेशक, संस्कृति मंत्रालय, सदस्य सचिव (पदेन)

## कार्यकारी समिति

### 1. अध्यक्ष

**श्री जवाहर सरकार**  
सचिव, संस्कृति मंत्रालय (पदेन)

## सदस्य

2. **सुश्री दीपाली खन्ना**  
वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय (पदेन)
3. **श्री विजय एस मदान**  
संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय (पदेन)
4. **श्री गौतम सेनगुप्ता**  
महानिदेशक  
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (पदेन)
5. **श्री ओ पी जैन**  
अध्यक्ष, संस्कृति प्रतिष्ठान, दिल्ली
6. **सुश्री संगीता जिंदल**  
अध्यक्ष, हंपी फाउंडेशन, मुंबई
7. **श्री तरुणदास**  
मुख्य परामर्शदाता, (मैंटर) भारतीय उद्योग संघ, गुडगांव
8. **श्री आर के कृष्ण कुमार**  
उपाध्यक्ष, दि इंडियन होटल्स कंपनी लि., मुंबई
9. **डॉ. किरन सेठ**  
अध्यक्ष, स्पिक मैके, नई दिल्ली
10. **श्री एस के रूंगटा**  
अध्यक्ष, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
11. **श्री अमरेश सिंह**  
निदेशक, संस्कृति मंत्रालय  
सदस्य सचिव (पदेन)

## वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित कार्यक्रमलाप

17 मई, 2010 – एन सी एफ की 12वीं कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई।

17 अगस्त, 2010 – एन सी एफ की 13वीं कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई।

06 जनवरी, 2011 – एन सी एफ की 14वीं कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई।

सचिव, संस्कृति मंत्रालय/अध्यक्ष, एनसीएफ (पदेन) की अध्यक्षता में, एन सी एफ के कार्यकरण और इसकी परियोजनाओं के प्रबंधन के संबंध में चर्चा की गई। एक व्यावसायिक परामर्शी फर्म, मेसर्स इनसाइट बिजनेस कंसल्टेंसी को संगठन संबंधी पुनर्गठन योजना तैयार करने के लिए किराए पर लिया गया।

14 जनवरी, 2011 – एन सी एफ कार्यालय को जनपथ भवन, नई दिल्ली से द्वितीय तल, नए प्रशासनिक खंड, एन जी एम ए, जयपुर हाउस, नई दिल्ली-110003 में शिफ्ट किया गया।

28 जनवरी, 2011 – वरिष्ठ प्रबंधकों का चयन/नियुक्ति के लिए 'चयन समिति' की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें दो उम्मीदवार चुने गए जैसे – सुश्री यामिनी मुबायी और सुश्री टी लक्ष्मी प्रिया।

31 जनवरी, 2011 – भारत – ब्रिटिश समझौता – ज्ञापन के संबंध में ब्रिटिश संग्रहालय दल के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। एन सी एफ को दो इंद्रा संग्रहालय परियोजनाएं सौंपी गई थीं जैसे – (i) ब्रिटिश संग्रहालय के साथ नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम और (ii) यू.के. में ब्रिटिश पुस्तकालय, ब्रिटिश संग्रहालय के साथ और भारत में एन जी एम ए, नई दिल्ली; विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता और भारत भवन, वाराणसी के साथ कंपनी चित्रकलाओं का डिजिटलीकरण।

8 मार्च से 10 मार्च, 2011 – ब्रिटिश संग्रहालय दल यू.के. से आया और उसने नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एन सी एफ के साथ काम किया।

22 मार्च, 2011 – परियोजना को दोबारा चालू करने के लिए जंतर मंतर, नई दिल्ली में परियोजना कार्यान्वयन समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी।



कंपनी स्कूल पेंटिंग



### वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

वर्ष 2008-09 के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि की वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं का संपरीक्षित विवरण राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर क्रमशः 24 अगस्त, 2011 और 30 अगस्त, 2011 को रखे गए थे।

### एनसीएफ लेखाओं की लेखा-परीक्षा

वर्ष 2010-11 के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि के वार्षिक लेखाओं की लेखा-परीक्षा डी.जी. ए.जी.सी.आर., नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03 से 12 अक्टूबर, 2011 तक की गई।

### कार्पस निधि

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्कृति निधि को 19.50 करोड़ रुपये की कार्पस निधि प्रदान कर अपनी वचनबद्धता पूरी की।

### 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति

एनसीएफ के पास कुल उपलब्ध निधि की राशि 43.13 करोड़ रुपये है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

प्राथमिक कार्पस निधि	: 19.50 करोड़ रु.
द्वितीयक कार्पस निधि	: 12.03 करोड़ रु.
परियोजना निधि	: 11.60 करोड़ रु.

उपरोक्त के अलावा 27.00 करोड़ रु. की राशि इंडियन ऑयल कार्पोरेशन से इसकी परियोजना निधि के रूप में प्राप्त की गई और 26 करोड़ रुपये इंडियन ऑयल फाउंडेशन के पास रखे हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-


आईओएफ परियोजना निधि	: 26.00 करोड़ रु. प्लस अब तक परियोजना निधि पर ब्याज (आईओएफ)
आईओएफ तथा एनसीएफ के संयुक्त खाते में	: 1 करोड़ रु.

### नई परियोजनाएं

1. **आहोम स्मारक, असम** : 29 जून, 2010 को एनसीएफ, एसआई तथा ओएनजीसी के बीच आहोम स्मारक, असम के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मैसर्स ओएनजीसी ने इस प्रयोजन के लिए 30 लाख रु. की राशि देने का वचन दिया।
2. **हजारद्वारी महल, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल** : 13 जुलाई, 2010 को भारतीय स्टेट बैंक की कोलकाता शाखा के साथ हजारद्वारी महल, जिला मुर्शिदाबाद को अंगीकृत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय स्टेट बैंक ने इस प्रयोजन के लिए 75 लाख रु. की राशि देने का वचन दिया और 20 लाख रु. की राशि पहले ही जमा करा दी है।
3. **मैसर्स दर्पण अकादमी** : 13 सितम्बर, 2010 को मैसर्स दर्पण के साथ शास्त्रीय नृत्यांगना श्रीमती मृणालिनी साराभाई पर एक फिल्म बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के अनुसार इस परियोजना की कुल लागत 33 लाख रु. है और यह सहमति बनी कि इस परियोजना लागत के 18 लाख रु. का अंशदान दर्पण करेगा तथा 15 लाख रु. का अंशदान एनसीएफ करेगा।
4. **मैसर्स सार्थ** : शास्त्रीय गायिका श्रीमती किशोरी अमोनकर पर एक वृत्तचित्र का निर्माण करने के लिए 21 सितम्बर, 2010 को एनसीएफ द्वारा ओएनजीसी, विदेश मंत्रालय और सार्थ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। फिल्म निर्माण की अनुमानित लागत 1.25 करोड़ रुपए है। इस प्रयोजन के लिए विदेश मंत्रालय परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् 62.50 लाख रु. का अंशदान देगा जबकि एनसीएफ और ओएनजीसी में से प्रत्येक 25 लाख रु. का अंशदान देगा। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शेष राशि 12.50 लाख रु. निर्माता कम्पनी द्वारा जुटाए जाएंगे।
5. **भारत फोटो अभिलेख प्रतिष्ठान (आईपीएफ)** : स्वातंत्र्योत्तर काल के अभिलेख / फोटो संग्रह विशेष रूप से श्री कुलवंत रॉय द्वारा लिए गए श्री जवाहरलाल नेहरू के फोटो के संरक्षण के लिए 25 अक्टूबर, 2010 को मैसर्स भारत फोटो अभिलेख प्रतिष्ठान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना की कुल लागत 42.90 लाख रु. है। उपर्युक्त प्रयोजन हेतु एनसीएफ और आईपीएफ 21.45 लाख रु. का बराबर का अंशदान देंगे।
6. **रीच फाउंडेशन** : विरासत महोत्सव के लिए 25 नवम्बर, 2010 को एनसीएफ ने ओएनजीसी के साथ-साथ रीच फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार परियोजना लागत हेतु 40 लाख रु. का अंशदान ओएनजीसी देगा जबकि बयाना राशि के रूप में एनसीएफ 10 लाख रु. का अंशदान देगा।



भारत चित्र अभिलेखागार, हरियाणा



### अल्पकालीन परियोजनाएं

#### संग्रहालयों को सहायता :

7. एनजीएमए और इसकी शाखाओं के लिए स्टाफ संबंधी जरूरतों के अध्ययन के लिए 3 लाख रु. वित्तीय सहायता को संस्कृति प्रदान की गई थी। यह कार्य मैसर्स मैनपावर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग कंसल्टेंट्स, के-107-बी, शेख सराय, फेज-11, नई दिल्ली-110017 को सौंपा गया था। मैसर्स मैनपावर मैनेजमेंट द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया।

#### पूरी की गई अल्पकालीन परियोजनाएं

29 जून, 2010 को एनसीएफ, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र और ओएनजीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पर प्लास्टिक आवरण, जो कि खुले में रखे लकड़ी के रथ को संरक्षित करता था, के स्थान पर प्रबलित कांच का आवरण लगाना था। मैसर्स ओएनजीसी ने परियोजना की कुल लागत अर्थात 13.46 लाख रु. की राशि प्रदान की। इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और 27 सितम्बर, 2010 को सचिव, संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।

#### अनवरत परियोजनाएं

##### ज्ञान प्रवाह ट्रस्ट, वाराणसी

सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र, ज्ञान प्रवाह न्यास की स्थापना सन् 1996 में वाराणसी में की गई थी। दिनांक 4 जनवरी, 2000 को इस क्षेत्र की मौखिक परम्पराओं के संवर्धन एवं परिरक्षण हेतु बनारस में भारतीय लिपियों का एक संग्रहालय स्थापित करने हेतु ज्ञान प्रवाह न्यास, वाराणसी तथा राष्ट्रीय संस्कृति निधि के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। यह न्यास अपने कार्यक्रमों के लिए दान के माध्यम से निधियां जुटा रहा है। इस वर्ष के दौरान ज्ञान प्रवाह केन्द्र, वाराणसी के द्वारा अनेक कार्यक्रम जिनमें संगोष्ठियां, अभिनय प्रशिक्षण कार्यशालाएं इत्यादि शामिल हैं, आयोजित किए गए।

**प्रकाशन :** संस्था ने सूचित किया कि उसके दो शोध प्रकाशनों अर्थात डॉ० एन.पी. जोशी और डॉ० ए.एल. श्रीवास्तव का *शिल्पसहस्रदल : डायरेक्टरी ऑफ यूनिक्स, रेअर एंड अनकॉमन ब्राह्मनीकल स्कल्पचर्स (खण्ड 1)* तथा प्रोफेसर के.के. थपलियाल का अशोक : *दी मैन एंड किंग* के इस वर्ष प्रकाशित होने की संभावना है।



जनाना परवाह, यू.पी.



जनाना परवाह, यू.पी.

**संगीत समारोह :** 19 सितम्बर, 2010 को आईसीसीआर और कला प्रकाश के सहयोग से ज्ञान प्रवाह, वाराणसी में एक संगीत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पुणे के संगीताचार्य डॉ० मोहन दारेकर ने शास्त्रीय संगीत का अद्भुत प्रदर्शन किया।

30 जनवरी, 2011 को श्री गणेश प्रसाद मिश्र ने शास्त्रीय गायन संबंधी प्रदर्शन प्रस्तुत किया। इस समारोह में गणमान्य अतिथि जैसे पद्मभूषण, श्रीमती गिरिजा देवी, पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, पद्मश्री पंडित अजय चक्रवर्ती एवं अन्य उपस्थित थे।

इस संगीत महोत्सव में श्रीमती शोभा मुद्गल (गायन), श्री वेंकटेश कुमार (गायन), सुश्री मीता पंडित (गायन), सुश्री सुभा गुहा (गायन), श्री रूपक कुलकर्णी (बांसुरी), श्री कुमार बोस एवं श्री देवज्योति बोस (तबला एवं सरोद) तथा काला रामनाथ (वीणा) जैसे प्रख्यात कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी जिनमें बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित थे।

**संस्कृत नाटक :** 31 अक्टूबर, 2010 को वाराणसी में वीएचयू के प्रतिष्ठित प्रोफेसर के.डी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में तथा प्रोफेसर वाई.के. मिश्र, डॉ० चन्द्रकांत राय और श्री भूमिकेश्वर सिंह के निर्देशन में 'भास' मंडली द्वारा संस्कृत नाटक "मध्यमव्यायोग" का मंचन किया गया। इस विशेष अवसर पर आईआईसी के अध्यक्ष डॉ० कपिला वात्स्यायन को सम्मानित किया गया। ज्ञान प्रवाह ने उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा लखनऊ में आयोजित 'व्यास महोत्सव' के दौरान इस संस्कृत नाटक का पुनः मंचन किया।

### **बाल संस्कृति अकादमी, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल**

दुर्गापुर बाल संस्कृति अकादमी गत छह वर्षों से दुर्गापुर-आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र के आस-पास मंच कला तथा संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्यरत है। डीसीएसी कला एवं शारीरिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चों को प्रशिक्षण देती है तथा बच्चों एवं व्यावसायिकों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करती है।

मंच कलाओं हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, बाल कला वीथि, संग्रहालय तथा ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु संसाधन जुटाने के लिए दिनांक 12 जनवरी, 2000 को राष्ट्रीय संस्कृति निधि तथा बाल संस्कृति अकादमी के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

यह परियोजना संस्थागत उपयोग के लिए सात एकड़ से अधिक सहित कुल 12.5 एकड़ भूमि पर फैली हुई है। डे बोर्डिंग स्कूल-निर्झर अकादमी का फ्लैगशिप है।

**मंच कला केन्द्र :** अकादमी ने शांतिनिकेतन के वरिष्ठ अध्यापकों के मार्गदर्शन में दो केन्द्र खोले हैं जिनके अध्यक्ष प्रोफेसर शंकर नारायण, पूर्व अध्यक्ष, भरतनाट्यम नृत्य संकाय, शांतिनिकेतन हैं। ललित कला, चित्रकला और शिल्पकला के लिए अलग-अलग संकायों की स्थापना भी की गई है। इस परिसर में नियमित रूप से सांस्कृतिक उत्सव तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नृत्य एवं संगीत में सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं और दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र के लगभग 1200 बच्चे इनमें भाग लेते हैं।

**विशेष समारोह :** इस वर्ष रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती का समारोह शुरू हुआ। केन्द्र की मंडली ने दुर्गापुर और उसके आस-पास विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। संगोष्ठियों का आयोजन भी किया गया। अकादमी द्वारा 511 पृष्ठ की एक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसमें विख्यात प्रोफेसरों और साहित्यकारों ने योगदान दिया।

### **किष्किंधा न्यास, अनेगुंडी, कर्नाटक**

किष्किंधा न्यास - हम्पी के निकट, अनेगुंडी नामक ग्राम में स्थित है, जो विजयनगर साम्राज्य का एक प्राचीन सांस्कृतिक केन्द्र है। यहां पर सभी विषयों से सम्बद्ध कलाकार प्रेरणा लेने आते हैं जैसाकि पुराकाल में करते थे। यह न्यास अनेगुंडी के लोगों के साथ मिलकर काम करता है कि वे अपनी विरासत को कैसे संरक्षित करें तथा उन्हें अपने गांव की सफाई एवं हरा-भरा बनाने में और इस क्षेत्र की औरतों एवं बच्चों को शिल्प से जुड़े रोजगार उपलब्ध कराने में मदद करता है।

गांव की विरासत को संरक्षित करने एवं क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 18 अप्रैल, 2000 को राष्ट्रीय संस्कृति निधि तथा किष्किंधा न्यास के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

### **जंतर-मंतर, नई दिल्ली**

दिल्ली में 1724 में निर्मित जंतर-मंतर, जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित कराई गई अनेक असाधारण खगोलीय वेध-शालाओं में से एक है। अन्य चार वेध-शालाएं जयपुर, वाराणसी, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित हैं।



जंतर मंतर, नई दिल्ली

जंतर-मंतर, नई दिल्ली के संरक्षण, परिरक्षण, अनुरक्षण, उन्नयन तथा सौंदर्यीकरण के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा एपीजे सुरेन्द्र पार्क होटेलस लि0 के बीच 11 अक्टूबर, 2000 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस परियोजना के लिए एपीजे समूह ने 10.00 लाख रु. की राशि देने का वचन दिया।

भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुमोदन से साइट पर प्रत्येक यंत्र के सूचना पट्टों को तैयार किया गया। जंतर-मंतर पर आने वाले आगंतुकों के लिए एक प्रतिपादन (व्याख्या) केन्द्र निर्माण के लिए एक गहन अनुसंधान किया गया तथा एक योजना तैयार की गई। पुराने सीए कार्यालय का प्रतिपादन केन्द्र के रूप में पुनः उपयोग करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

### स्मारकों का विकास – इंडियन ऑयल फाउंडेशन

भारत के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक स्मारक के विकास हेतु राष्ट्रीय संस्कृति निधि, इंडियन ऑयल फाउंडेशन, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच दिनांक 30 मार्च, 2001 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। प्रथम चरण में संरक्षण, परिरक्षण तथा विकास हेतु चिन्हित स्मारक हैं— कुतुब मीनार, दिल्ली; कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा; कन्हेरी गुफाएं, महाराष्ट्र; हम्पी, कर्नाटक तथा खजुराहो, मध्य प्रदेश।

अभी तक इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने 27 करोड़ रु. की राशि का अंशदान किया है और 26 करोड़ रु. की राशि इंडियन ऑयल फाउंडेशन के पास रखी है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति तक अर्जित ब्याज के कारण यह राशि लगभग 40 करोड़ रु. हो चुकी है।

**कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर, उड़ीसा – एक विश्व विरासत स्थल :** ऑयल फाउंडेशन लगभग 20 करोड़ रु. की लागत से कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर में पर्यटकों के अनुकूल सुविधाएं विकसित कर रहा है। जीपीआरएस तथा स्थलाकृतिक सर्वेक्षण अप्रैल, 2010 तक पूरा कर लिया गया था। सर्वेक्षण के परिणामों के आलोक में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के साथ आगंतुकों हेतु ड्रॉप ऑफ पॉइंट, पार्किंग की जगह और अन्य सुविधाओं के बारे में चर्चा की जा चुकी है।

**खजुराहो, मध्य प्रदेश – एक विश्व विरासत स्थल :** इस परियोजना के अंतर्गत खजुराहो में पर्यटक सुविधाएं विकसित करना शामिल है। विकास योजना को तैयार करने के लिए लखनऊ के मैसर्स ए एन बी कंसलटेंट्स को परामर्श सेवा का कार्य सौंपा गया है।

**वारंगल किला, आंध्र प्रदेश – एक राष्ट्रीय विरासत स्थल :** वारंगल में पर्यटकों के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए श्री बेन्नी कुरियाकोज संरक्षण वास्तुविद् का चयन किया गया है और उन्होंने संकल्पना योजना प्रस्तुत कर दी है।


**वैशाली, बिहार – एक राष्ट्रीय विरासत स्थल :** आईओएफ न्यास की बैठक के दौरान आईओएफ की परियोजनाओं की सूची में वैशाली को शामिल करने का निर्णय लिया। यह भी तय किया गया कि इस परियोजना के एक भाग के रूप में कोल्हुआ स्थल को भी शामिल करने की संभावनाएं जांच ली जाएं। निदेशक (संरक्षण), सीईओ (आईओएफ) तथा एएसआई के अन्य अधिकारियों द्वारा स्थल का दौरा किया गया और यह निर्णय लिया गया कि वैशाली एवं कोल्हुआ में उपलब्ध भूमि का जी पी आर एस सर्वेक्षण किया जाए।

### जैसलमेर किला, राजस्थान

1156 ई. में निर्मित जैसलमेर का किला राजस्थान के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। जैसलमेर कस्बा अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का स्थल है क्योंकि यह मिश्र, अरब, पर्सिया (फारस) तथा भारत के बीच व्यापार की कड़ी का एक हिस्सा है।

जैसलमेर किला, राजस्थान के संरक्षण के लिए 13 अगस्त, 2003 को एनसीएफ, एएसआई तथा विश्व स्मारक निधि के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। एएसआई ने परियोजना लागत में 4.00 करोड़ रु. का अंशदान किया और विश्व स्मारक निधि (डब्ल्यूएमएफ) ने इस प्रयोजनार्थ 500,000 यू.एस. डॉलर (लगभग 2.15 करोड़ रु) का अंशदान करने का वचन दिया।

गत वर्ष के कार्य की अनवरतता में क्षतिग्रस्त, क्षीण, झुकी हुई और अपने स्थान से हटी हुई सूखी चिनाई वाली पिचिंग दीवार को तोड़ा गया। तत्पश्चात् खांचों, इस्पात की क्लैम्पों और जंजीरों की सहायता से पत्थर के टुकड़ों को एक-दूसरे के साथ जोड़ा गया। तथापि, बॉम्बे कॉलाबोरेटिव द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पहाड़ी के ढलान पर 1000 यू.वी. भूभाग की भू-संश्लेषित झिल्ली लगाई गई है और इसे कीलों से जोड़ा गया है। चट्टान और दीवार के बीच खाली स्थान को फिल्टर माध्यम बनाने के लिए बालू और कंकड़-बजरी से भी भरा गया था। पिचिंग दीवार के शीर्ष भाग को सामग्री के मिश्रण से जलरोधी बनाया गया था और इसमें समुचित अंतराल पर रिसाव-छिद्रों की व्यवस्था की गई थी।



जैसलमेर किला, राजस्थान

सूरज स्तंभ के सामने फर्श के क्षतिग्रस्त और क्षीण पत्थरों को हटाया गया और नए व पुराने पत्थरों की सहायता से उन्हें पुनः स्थापित किया गया ताकि वे मूल जैसी लगें। नए के साथ-साथ पुराने पत्थर के टुकड़ों की सहायता से गायब और बुरी तरह क्षतिग्रस्त प्राचीरों तथा बाह्य किलेबंदी की दीवार के बुर्ज संख्या 30 की मुंडेर का जीर्णोद्धार किया गया। बुर्ज संख्या 27 से 31 तक का जीर्णोद्धार कार्य जारी है।

**विकास कार्य :** सूरज स्तंभ के निकट नए तैयार किए गए धातु की चादर के द्विभाषी परिरक्षण सूचना-पट्ट को भी लगाया गया है जो नवीनतम एएमएएसआर (संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 2010 के आलोक में किले के प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र को स्पष्टतः परिभाषित करता है। किले के निवासियों सहित घरेलू और विदेशी पर्यटकों की जानकारी के लिए *जैसलमेरी* पत्थर का एक द्विभाषी सूचना-पट्ट तैयार किया गया है।

सूरज स्तंभ के ऊपरी हॉल को चित्र-वीथी में बदला गया है और इसमें एएसआई द्वारा किए जाने वाले संरक्षण कार्यों के लेमिनेटेड फोटोग्राफ प्रदर्शित किए गए हैं। स्थानीय लोगों की जानकारी के लिए किले के चारों ओर प्रतिबंधित एवं विनियमित क्षेत्र का संकेत करने वाले लैंड मार्कर पत्थर भी लगाए गए हैं।

### लोधी गार्डन परियोजना, नई दिल्ली

मध्य दिल्ली में, लोधी गार्डन के अंतर्गत अनेक लोधी मकबरे स्थित हैं। बड़ी एवं ऊंची-ऊंची मेहराब एवं गुंबदों तथा बड़े-बड़े विशाल बरामदों के साथ ये सैय्यद वास्तुशिल्प शैली के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। लोधी का मकबरा, नई दिल्ली के संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु 10 जनवरी, 2006 को राष्ट्रीय संस्कृति निधि, एएसआई तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि0 के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार ऐतिहासिक संरचनाओं के संरक्षण के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि0 4 किस्तों में कुल 1 करोड़ रु. की राशि का अंशदान देगा।

मई 2009 में मुहम्मद शाह के मकबरे के संरक्षण का कार्य पाड़ (स्कैफोल्डिंग) लगाने और गुंबदों एवं कमल स्तूपिकाओं का प्लास्टर उखाड़ने के साथ शुरू किया गया। स्थल पर संरक्षण कार्य की प्रकृति की जांच के लिए स्थल के संयुक्त दौरे किए गए। भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।



लक्ष्मी गार्डन, नई दिल्ली

### राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, पुणे

राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, पद्मश्री डॉ० डी.जी. केलकर (1896-1990) के संग्रहों का संग्रहालय है। इस संग्रहालय में पूरे भारत के आम घरों की 20,000 से अधिक अमूल्य दैनिक वस्तुएं हैं। संग्रहालय संग्रह के संरक्षण एवं परिरक्षण तथा संग्रहालय के लिए नए भवन के निर्माण हेतु 12 अप्रैल, 2002 को राष्ट्रीय संस्कृति निधि तथा राजा दिनकर केलकर संग्रहालय के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। 27 अगस्त, 2008 को यह समझौता ज्ञापन पुनर्नवीकृत किया गया। समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों पक्ष इस प्रयोजनार्थ दान राशि जुटाने का संयुक्त प्रयास करेंगे।

राजा दिनकर केलकर संग्रहालय निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों से आवश्यक निधि जुटाने का प्रयास कर रहा है, इसमें स्थानीय पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम तथा महाराष्ट्र राज्य सरकार शामिल है।

राजा दिनकर केलकर संग्रहालय ने उच्च गुणवत्ता वाले प्रदर्शन केसों का निर्माण करने के लिए एक मास्टर प्लान तथा तकनीकी डिजाइन तैयार किया है। संग्रहालय ने बिजली बचाने, अधिक समय तक चलने तथा साथ ही साथ वीथियों हेतु अपेक्षित प्रकाश व्यवस्था के दृष्टिकोण से विशेष रूप से धातु एवं पत्थर की वस्तुओं के लिए चपटी और स्पॉट दोनों प्रकार की सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लुओरोसेंट लैम्प) का उपयोग करना प्रारंभ किया है।

### लौरिया नंदनगढ़, बिहार

लौरिया नंदनगढ़, बिहार राज्य में स्थित है, जो सम्राट अशोक द्वारा यहां खड़े "अशोक स्तम्भ" के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में स्थित लौरिया, नंदनगढ़, चंकीगढ़ चंपारन जिले में रामपुरवा के स्मारकों एवं पर्यटक स्थलों में पर्यटन सुविधाओं एवं उपवनों के विकास हेतु 18 दिसम्बर, 2007 को मैसर्स बोकारो स्टील प्लांट (संयंत्र) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। समझौता ज्ञापन के तहत मैसर्स सेल-बोकारो 50.00 लाख रुपये का अधिकतम अंशदान देने को सहमत हुआ। परियोजना कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक जनवरी 2009 में आयोजित की गई तथा परियोजना के लिए संशोधित प्राक्कलन की तैयारी प्रक्रियाधीन है।



### गोल गुंबद, बीजापुर, कर्नाटक

गोल गुंबद, आदिल शाही वंश के 7वें शासक मुहम्मद आदिल शाह (1627-56) का मकबरा है। आदिल शाही स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने के रूप में, बीजापुर का यह विशाल गुंबद एक भव्य ऐतिहासिक स्थल है। 20 वर्ष तक अत्यंत सावधानीपूर्वक की गई शिल्पकारी के पश्चात् गोल गुंबद का निर्माण 1659 में पूरा हुआ।

गोल गुंबद, कर्नाटक में विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल सुविधाएं और जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 22 फरवरी, 2008 को मैसर्स स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। मैसर्स स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० इस परियोजना के लिए 50 लाख रु. देने के लिए सहमत हुआ। परियोजना कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं और वित्त वर्ष के दौरान शुरू किए जाने वाले कार्यों को अंतिम रूप दिया गया।

गोल गुंबद, बीजापुर में जन सुविधाओं के लिए संकल्पना योजना तैयार करने के लिए परामर्शदाता के चयन हेतु एएसआई द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई।

### वजीरपुर का गुंबद, नई दिल्ली

वजीरपुर का गुंबद, मुनिरका, नई दिल्ली के संरक्षण, परिरक्षण, सौंदर्योकरण एवं जीर्णोद्धार के लिए 28 मार्च, 2008 को मैसर्स पीईसी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। मैसर्स पीईसी लि० इस परियोजना की लागत के लिए 25 लाख रु. की राशि देने पर सहमत हुआ। परियोजना कार्यान्वयन समिति की एक बैठक की गई और एएसआई तथा मैसर्स पीईसी लि० द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का दौरा भी करने का निर्णय लिया गया ताकि इस परियोजना का कार्यक्षेत्र सुनिश्चित किया जा सके। जनवरी, 2009 को एक संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा इस दल ने इस स्मारक के परिरक्षण की अच्छी स्थिति को देखते हुए, अन्य स्मारक को चुनने का निर्णय लिया।

### कृष्ण मंदिर, हम्पी, कर्नाटक

कृष्ण मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने उदयागिरि या उत्कल के पूर्वी साम्राज्य (उड़ीसा राज्य में) पर विजय की खुशी मनाने के लिए 1513 ई. में कराया था। मंदिर में जो मुख्य मूर्ति स्थापित की गई थी वह बालकृष्ण (भगवान कृष्ण



का शिशु रूप) की प्रतिमा थी। यह मूर्ति अब राज्य संग्रहालय, चेन्नई में प्रदर्शित की गई है। इस मंदिर के प्रांगण में स्थापित विशाल शिला पर इस मंदिर और उत्कल विजय की कहानी उत्कीर्ण है। यह ऐसे बहुत कम मंदिरों में से एक है जिनमें मीनार की दीवारों पर महागाथाएं उत्कीर्ण हैं।

कृष्ण मंदिर, हम्पी के संरक्षण के लिए 12 जून, 2008 को मैसर्स हम्पी फाउंडेशन, एएसआई और एनसीएफ के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस परियोजना के लिए हम्पी फाउंडेशन ने कुल 4 करोड़ रु. का अंशदान करने का वचन दिया जिसे 3 वर्ष की अवधि में 10 किस्तों में जारी किया जाना है। समझौता ज्ञापन के अनुसार यदि आवश्यक हुआ, तो हम्पी फाउंडेशन देशीय के साथ-साथ विदेशी दाताओं से निधियों का संग्रहण करेगा।

### आलम बाजार मठ, कोलकाता

आलम बाजार मठ की स्थापना 1892 में हुई थी। यहां पर स्वामी अभेदानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्णानंद, गौरीमां तथा अन्य चेले एकत्र हुए और ध्यानयोग, धार्मिक-अनुष्ठान, लोक कल्याण के कार्य एवं पूजा पाठ आदि के लिए आध्यात्मिक जीवन गुजारा। यह एक ऐतिहासिक स्थल है क्योंकि स्वामी विवेकानंद शिकागो में आयोजित धर्म-संसद में भाग लेने के पश्चात इसी मठ पर वापस आए थे। "आत्मारामेर कौता (श्री रामकृष्ण की अस्थियां यहां पर रखी गई थी, जब तक कि उसे 1898 में नीलांबर मुखर्जी गार्डन हाउस, बेलूर में स्थानांतरित नहीं किया गया था।

आलम बाजार मठ, कोलकाता के साथ इसके नवीकरण, जीर्णोद्धार एवं परिरक्षण के लिए 16 अक्टूबर, 2008 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

पहली परियोजना कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भवन के एक मूर्ति युक्त हिस्से के संरक्षण का कार्य शुरू किया जा सकता है। इसलिए कोलकाता सर्किल के एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद् को दस्तावेज तैयार करने और कार्य की लागत का अनुमान लगाने का निर्देश दिया गया।

तुगलकाबाद किला, नई दिल्ली



### तुगलकाबाद किला, दिल्ली

तुगलकाबाद किला का निर्माण तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। यह किला विशाल क्षेत्र में फैला है और इसे दिल्ली का तीसरा शहर माना जाता है। तुगलकाबाद किले के विशालकाय परकोटे, प्राचीरों तथा विशालकाय पत्थरों पर की गई कारीगरी वास्तुशिल्प कौशलों एवं उन्नत शिल्पकारी के सबूत हैं। तुगलकाबाद किला ने रक्षात्मक संरचना के साथ-साथ गयासुद्दीन तुगलक के साम्राज्य की राजधानी के दोहरे उद्देश्य को पूरा किया। इस विशालकाय किले के अहाते में अनेक स्मारक हैं।

तुगलकाबाद किला, दिल्ली के जीर्णोद्धार एवं अनुरक्षण के लिए 13 अप्रैल, 2009 को एनसीएफ, एएसआई और गेल इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। गेल इस प्रयोजन के लिए 30 लाख रू. का अंशदान करने को सहमत हुआ और उस राशि को एनसीएफ के खाते में जमा कराया।

महानिदेशक, एएसआई के साथ बैठक में परियोजना कार्यान्वयन समिति को सूचित किया गया कि तुगलकाबाद किला, नई दिल्ली पर कई सुरक्षा संबंधी मामलों के कारण एनसीएफ और एएसआई के लिए तुगलकाबाद किला में कार्य शुरू करना व्यवहार्य नहीं होगा तथा यह सुझाव दिया गया कि संरक्षण हेतु किसी अन्य स्मारक का चयन किया जाए। उपर्युक्त रिपोर्ट गेल इंडिया लिमिटेड के विचारार्थ तथा अनुमोदन के लिए अग्रेषित की गई है।

### इब्राहिम रौजा, बीजापुर, कर्नाटक

इब्राहिम रौजा का निर्माण आदिलशाह द्वितीय (1580-1627) ने कराया था, इसमें एक वर्गाकार चहारदीवारी के भीतर ऊंचे उठे हुए चबूतरे पर आमने-सामने उसका मकबरा और मस्जिद स्थित है और उनके बीच में एक जलकुण्ड और फव्वारा है। इब्राहिम रौजा और गोल गुंबद, बीजापुर के बागों को हरा-भरा करने के लिए 11 दिसम्बर, 2009 को एनसीएफ, एएसआई और मैसर्स नौरस न्यास, बेंगलूरु के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

न्यास ने बागों के संरक्षण के लिए i) इन दो बागों का अध्ययन और अन्वेषण करने, जिसमें पुरातत्व संबंधी अन्वेषण एएसआई द्वारा किया जाना है, ii) एएसआई के साथ योजना बनाने के लिए इस परियोजना पर विचार किया। इस परियोजना में यह कल्पना की गई है कि संरक्षण कार्य एएसआई द्वारा न्यास के सहयोग से किया जाएगा ताकि

इब्राहिम रौजा, कर्नाटका



सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान की जा सके और उनका उपयुक्त समाधान किया जा सके। इसका अनिवार्य उद्देश्य एक ऐसी विधि का विकास करना है जिसे इस क्षेत्र के अन्य बागों के लिए भविष्य में उपयोग में लाया जा सके। संरक्षण प्रयास में वर्तमान बातों का ध्यान रखा जाएगा, अन्य के साथ-साथ ये बातें हैं जैसे कि बाग के उपयोग में परिवर्तन होना (आज यह मकबरा बाग के बजाय सार्वजनिक पार्क अधिक है) या अर्द्ध शुष्क क्षेत्र में पानी की कमी होना या बीजापुर की गर्मी और धूप वाली जलवायु में षेड की सतत आवश्यकता।

जनवरी 2010 में इस परियोजना पर कार्य प्रारंभ हुआ था। पहला कदम मूल जल स्रोत का पता लगाना और उससे जल निकालना था तथा मध्यकालीन बीजापुर में जल जैसे दुर्लभ संसाधन के उपयोग के बारे में यदि कोई सीख ली जा सकती थी तो उसे लेना था। स्थल पर मूल जल स्रोत की ध्यानपूर्वक तलाश करने और उससे जल निकालने की योजना बनाने के लिए न्यास ने 3 वर्ष तक (परियोजना की शुरुआत से पहले) गहन पुरातात्विक एवं अन्य अनुसंधान कार्य तथा विशेषज्ञों से प्राप्त इनपुट के साथ विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण किए। इस योजना के आधार पर एएसआई ने फरवरी, 2010 में गोल गुंबद पर तथा जनवरी, 2011 में इब्राहिम रौजा पर कार्य प्रारंभ किया। निष्कर्षों की व्याख्या और आगे की अनुवर्ती जांच पर न्यास और एएसआई द्वारा संयुक्त रूप से चर्चा की जा रही है। दोनों स्थलों पर कार्य चल रहा है।

### स्मारकों का संरक्षण – मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड

22 दिसम्बर, 2009 को एनसीएफ, एएसआई और मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत संभाव्य संरक्षण और विकास कार्य हेतु निम्नलिखित स्थलों की पहचान की गई:

- (क) मध्य प्रदेश में स्मारकों का समूह जैसे— माण्डु
- (ख) उत्तराखण्ड में मंदिरों का समूह जैसे— जागेश्वर
- (ग) पुरातात्विक स्थल जैसे— ललितगिरि/धौली, उड़ीसा।

एनटीपीसी ने इस परियोजना लागत के लिए 5 करोड़ रु. का अंशदान करने का वचन दिया तथा 50 लाख रु. संयुक्त बैंक खाते में जमा कराए हैं।

## वर्ष 2010-11 के लेखाओं की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

**31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग से तैयार की गई लेखा-परीक्षा रिपोर्ट**

1. हमने, राष्ट्रीय संस्कृति निधि का संलग्न तुलन-पत्र और आय एवं व्यय से संबंधित लेखाओं/प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं की लेखा-परीक्षा, 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अधीन की है। लेखा-परीक्षा का कार्य 2010-2011 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय संस्कृति निधि के प्रबंधन की जिम्मेदारियां हैं। हमारा उत्तरदायित्व, अपनी लेखा-परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर एक विचार-धारा प्रस्तुत करना मात्र है।
2. अलग से तैयार की गई लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा केवल लेखांकन व्यवहार से संबंधित टिप्पणियां शामिल हैं, जो उत्कृष्ट लेखा-गणना पद्धतियों के बर्गीकरण, अनुरूपता, लेखांकन के मानकों और घोषणा के प्रकारों आदि के संबंध में हैं। कानून, नियम और विनियम (सम्पत्ति और रजिस्ट्री) के संबंध में वित्तीय लेन-देन और कुशलता-सह-निष्पादन पहलू आदि पर लेखा-परीक्षा के विचार, यदि कोई हैं, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सी.ए.जी. की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं।
3. हमने, लेखा-परीक्षा का कार्य, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम लेखा-परीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें ताकि, इस संबंध में एक समुचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण, वास्तविक रूप में भ्रमात्मक विवरणों से मुक्त हैं। लेखा-परीक्षा में जांच, परीक्षण पर आधारित, ऐसे साक्ष्य जो वित्तीय विवरणों की राशियों और घोषणा का समर्थन करते हों, शामिल होते हैं। लेखा-परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखांकन के सिद्धांतों की परख और महत्वपूर्ण अनुमान जो प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा, हमारे विचारों के लिए एक स्वाभाविक आधार प्रदान करती है।
4. अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
  - (i) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, हमारी लेखा-परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
  - (ii) तुलन-पत्र/आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा जो इस रिपोर्ट में व्यवहृत हुए हैं, उनको वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित लेखाओं के साधारण प्रारूप (फार्मेट) में तैयार किया गया है।
  - (iii) हमारे विचार में, राष्ट्रीय संस्कृति निधि द्वारा, लेखा-पुस्तकों और अन्य संबंधित अभिलेखों को उचित रूप से तैयार और अनुरक्षित किया गया है जैसाकि ऐसी पुस्तकों की जांच से यह स्पष्ट रूप में प्रकट होता है।
  - (iv) हम पुनः रिपोर्ट करते हैं कि :
    - क. तुलन-पत्र
      - क.1 परिसम्पत्तियां
        - क.1.1 नामोदिदष्ट निधि से किया गया निवेश
 

तालिका 11 के अनुबंध-1 के अनुसार, "सावधि जमा राशि-परियोजनाएं-जैसलमेर" शीर्ष के अंतर्गत 774.88 लाख रु. की राशि प्रदर्शित की गई थी। इस राशि को तालिका 11 के बजाए, "तालिका 9-नामोदिदष्ट निधि से निवेश" में लिखा जाना चाहिए था।
        - क.1.2 निवेश-अन्य
 

तालिका 25-लेखाओं पर टिप्पणियां के अनुसार, 1950 लाख रु. की राशि को प्रारंभिक कार्पस निधि के रूप में प्रदर्शित किया गया था। मूलधन, निवेशों में निवेशित होना चाहिए था और मूलधन से प्राप्त आय का उपयोग राष्ट्रीय संस्कृति निधि के दैनिक व्ययों के लिए किया जाना चाहिए। तालिका 11 के अनुबंध-1 के अनुसार, 1256.01 लाख रु. की राशि "स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और आईसीआईसीआई बैंक की जमा राशियां" शीर्ष में प्रदर्शित की गई थी। इस राशि को "तालिका 10-निवेश-अन्य" में लिखा जाना चाहिए था। इसलिए, कार्पस निधि के निवेशों को त्रुटिपूर्ण रूप में दर्शाया गया और 693.99 लाख रु. कम करके समझा गया था।
        - क.1.3 वसूली योग्य स्रोत पर काटा गया आयकर (टीडीएस)
 

तालिका 11 के अनुसार, 90.89 लाख रु. की राशि वसूली योग्य स्रोत पर काटे गए आयकर के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जो विभिन्न बैंकों द्वारा ब्याज के भुगतानों पर काट लिया गया था और इसको आयकर विभाग द्वारा वापिस किया जाना था, क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 12क के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्कृति निधि की आय को कर मुक्त किया गया था। बैंकों द्वारा

की गई टीडीएस की कटौती को बचाया जा सकता था, यदि, राष्ट्रीय संस्कृति निधि ने आयकर-छूट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया होता। वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए इस राशि में क्रमशः 23.57 लाख रु., 19.80 लाख रु. और 17.93 लाख रु. तथा वर्ष 2010-11 के लिए 29.59 लाख रु. शामिल हैं, जिनसे इस राशि की वापसी के लिए की जाने वाली विवेकपूर्ण कोशिशों का अभाव झलकता है।

**ख. सामान्य**

ख.1 तालिका 8 में, वर्ष के दौरान क्रय की गई अचल परिसम्पत्तियों को दो अर्द्ध-वर्षीय खण्डों में नहीं लिखा गया था।

**ग. सहायता अनुदान**

कार्पस निधि के निवेश पर ब्याज के रूप में अर्जित राशि 198.23 लाख रु. में से राष्ट्रीय संस्कृति निधि द्वारा 92.23 लाख रु. का उपयोग कर लिया गया था।

**घ. प्रबंधन-पत्र**

वे कमियां जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं, उनको निदानात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन-पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय संस्कृति निधि के ध्यान में लाया गया है।

(v) पूर्ववर्ती पैराओं में दी गई टिप्पणियों के अध्यक्षीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में व्यवहृत तुलन-पत्र और आय व व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, लेखा-पुस्तकों के सामंजस्य में हैं।

(vi) हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामले और इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के मध्य उक्त वित्तीय विवरण, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा-गणना के सिद्धांतों की अनुरूपता की एक सत्य एवं स्वच्छ झांकी प्रस्तुत करते हैं।

(क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2011 को स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय संस्कृति निधि के तुलन-पत्र, कार्य-प्रणाली से है, और

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के सरप्लस आय और व्यय लेखा से है।

**भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक  
के लिए और उनकी ओर से**

ह0/-  
महानिदेशक, लेखा-परीक्षक  
(केन्द्रीय व्यय)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : जनवरी 12, 2012

**अनुबंध**

**1. आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

संगठन में आन्तरिक लेखा-परीक्षा विभाग की स्थापना नहीं की गई है और न ही मंत्रालय द्वारा भी आन्तरिक लेखा-परीक्षा की जा रही है।

**2. निगरानी**

बाह्य लेखा-परीक्षा की आपत्तियों के सम्बन्ध में प्रबन्धन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है, क्योंकि वर्ष 2002-03 से 2009-10 की अवधि के 26 पैरा अभी लंबित हैं।

वार्षिक बजट का शीर्षवार और पुनर्विनियोजनों के लिए संस्कृति मंत्रालय से अनुमोदन नहीं प्राप्त किया गया है।

**3. परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली**

अचल परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य किया गया है।

**4. वस्तुओं की सूची की प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली**

लेखन-सामग्री की सूची और अन्य उपभोग्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

**5. देनदारी के भुगतानों में नियमितता**

लेखन-सामग्री के मामले में, आयकर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और भविष्य निधि तथा कर्मचारी बीमा के लिए कोई भी देयता छः माह से अधिक समय से देय नहीं है।

विपुल कुमार एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

XV 5352/ए शोरा कोठी  
पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055

## लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय संस्कृति निधि के संलग्न तुलन-पत्र की दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार और करार में यथा-उल्लिखित तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखाओं की उक्त निधि द्वारा तैयार की गई लेखा बहियों से जांच की है :

- क) हमने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के उद्देश्यार्थ सभी आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।
- ख) हमारी राय में, जैसाकि हमारे दौरे के दौरान बहियों की जांच से प्रतीत होता है, इस निधि में निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यक्षीन लेखा बहियों को विधि द्वारा यथा-अपेक्षित रूप से रखा गया है।
- ग) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें प्रस्तुत किए गए
- घ) स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखाओं तथा इनके साथ पढ़ी जाने वाली टिप्पणियों के बारे में वास्तविक तथा निष्पक्ष रूप से यह विचार व्यक्त किया जा सकता है :-
  - (i) दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार उपरोक्त नाम वाली निधि की अद्यतन तुलन-पत्र के मामले में; और
  - (ii) इस निधि के आय और व्यय के मामले में दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष में इस निधि की आय इसके व्यय से अधिक है।
  - (iii) निर्धारित ब्यौरे इसके साथ संलग्न हैं।

विपुल कुमार एण्ड कम्पनी  
सनदी लेखाकार की ओर से

ह0/-  
(भागीदार)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : अगस्त 01, 2011

## 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

कार्पस/पूँजीगत निधि तथा देयताएं	अनुसूची	31.03.2011	31.03.2010
कार्पस/पूँजीगत निधि	1	315,380,819	303,977,838
आरक्षित और अधिशेष	2	—	—
उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	3	116,020,531	104,090,410
सुरक्षित ऋण और उधार राशि	4	—	—
असुरक्षित ऋण और उधार	5	—	—
आस्थगित उधार देयताएं	6	—	—
चालू देयताएं और प्रावधान	7	11,544,162	11,509,298
<b>कुल</b>		<b>442,945,512</b>	<b>41,577,546</b>
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	753,054	104,749
निवेश - उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि से	9	—	—
निवेश - अन्य	10	—	—
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	442,192,458	419,472,797
विविध व्यय		—	—
(बट्टे खाते डाले जाने अथवा समायोजित न किए जाने तक)			
<b>कुल</b>		<b>442,945,512</b>	<b>419,577,546</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताओं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट  
समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्टानुसार

कृते विपुल कुमार एवं कंपनी  
सनदी लेखाकार

कृते राष्ट्रीय संस्कृति निधि  
की ओर से

Sd/-  
विपुल कुमार  
(भागीदार)

Sd/-  
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 30.06.2011

## 31.03.2011 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

आय	अनुसूची	चालु वर्ष 31.03.2011	गत वर्ष 31.03.2010
विक्रय/सेवाओं से आय	12	—	—
अनुदान/सहायिकियां	13	—	—
शुल्क/अंशदान	14	—	—
निवेशों से आय (निधियों में अनांतरित उद्दिष्ट निधियों से निवेशों पर आय)	15	—	—
स्वामित्व अधिकार (रॉयल्टी), प्रकाशन आदि से आय	16	—	—
अर्जित ब्याज	17	19,822,906	20,975,587
अन्य आय	18	—	—
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) तथा चालू कार्य	19	—	—
<b>कुल (क)</b>		<b>19,822,906</b>	<b>20,975,587</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना व्यय	20	1,822,946	971,461
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	1,935,962	979,386
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	4,500,000	650,000
ब्याज	23	5,686	535
मूल्यहास (वर्ष के अंत में निवल कुल योग - अनुसूची 8 के अनुरूप)		155,331	46,354
<b>कुल (ख)</b>		<b>8,419,925</b>	<b>2,647,736</b>
व्यय की तुलना में अधिक आय के कारण शेष (क - ख)		11,402,981	18,327,851
विशेष आरक्षित निधि में अंतरण (प्रत्येक का विषिष्ट उल्लेख करें)		—	—
सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण		—	—
अधिक/कम शेष के कार्पस/पूंजीगत निधि में ले जाया गया		11,402,981	18,327,851
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24	—	—
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25	—	—

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट  
समसंख्यक तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्टानुसार

कृते विपुल कुमार एवं कंपनी  
सनदी लेखाकार

कृते राष्ट्रीय संस्कृति निधि  
की ओर से

ह0/-  
विपुल कुमार  
(भागीदार)

ह0/-  
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 30.06.2011

## 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

### अनुसूची 1 – कार्पस/पूँजीगत निधि

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष 31.03.2011	गत वर्ष 31.03.2010
वर्ष के प्रारंभ में शेष	303,977,838	301,817,691
जोड़ें – कार्पस/पूँजीगत निधि में अंशदान		18,327,851
जोड़ें/घटाएं – आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/व्यय का शेष	11,402,981	(16,167,704)
घटाएं : अलग संयुक्त बैंक खाते में अंतरित राशि	11,402,981	
<b>वर्ष के अंत में शेष</b>	<b>315,380,819</b>	<b>303,977,838</b>

### अनुसूची 2 – आरक्षित और अधिशेष

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
<b>1. पूँजीगत आरक्षित निधि :</b>		
अंतिम लेखा के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	—	—
<b>2. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि</b>		
अंतिम लेखा के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	—	—
<b>3. विशेष आरक्षित निधि</b>		
अंतिम लेखा के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	—	—
<b>4. सामान्य आरक्षित निधि</b>		
अंतिम लेखा के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	—	—
<b>कुल</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

### अनुसूची 3 – उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि

(राशि रुपयों में)

	निधि वार ब्यौरा		
	निधि डब्ल्यूडब्ल्यू निधि एक्सएक्स निधि वाईवाई	चालु वर्ष 31.03.2011	गत वर्ष 31.03.2010
क) निधि का आरंभिक शेष		104,090,410	76,436,459
ख) निधि में परिवर्धन			
i. दान/अनुदान		25,558,582	11,824,280
ii. निधियों में से किए गए निवेशों से आय			18,086,420
iii. अन्य परिवर्धन (स्वरूप का विशिष्ट उल्लेख करें)		6,086,641	506,341
<b>कुल (ख)</b>		<b>31,645,223</b>	<b>30,417,041</b>
<b>कुल (क+ख)</b>		<b>135,735,633</b>	<b>106,853,500</b>
ग) निधियों के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय			
i. पूंजीगत व्यय			—
स्थायी परिसंपत्तियां		—	—
अन्य		—	—
<b>योग</b>		—	—
ii. राजस्व व्यय			
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि		—	—
किराया		—	—
अन्य प्रशासनिक व्यय		96	705
परियोजना व्यय		19,715,006	2,763,090
<b>योग</b>		<b>19,715,102</b>	<b>2,763,090</b>
<b>योग (ग)</b>		<b>19,715,102</b>	<b>2,763,090</b>
<b>वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)</b>		<b>116,020,531</b>	<b>104,090,410</b>

#### टिप्पणी :

1. अनुदानों से संबद्ध शर्तों पर आधारित संगत शीर्षों के अधीन प्रकटन किया जाएगा।
2. केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना गत निधियां पृथक निधि के रूप में दर्शायी जाएगी और उन्हें किसी अन्य निधि के साथ नहीं मिलाया जाएगा।

# 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

## अनुसूची-3 का अनुबंध

## निधि-वार ब्यौरा

	बाल अकादमी परियोजना, दुर्गापुर	हुमायूँ का मकबरा परियोजना, दिल्ली	जंतर मंतर परियोजना, दिल्ली	ज्ञान प्रवाह परियोजना, कोलकाता	कर्नाटक चित्रकला परिषद परियोजना, बेंगलूरु	किष्किन्धा ट्रस्ट परियोजना	रमण महर्षि परियोजना भाग-1
चालू वर्ष	1	2	3	4	5	6	7
क. निधि का प्रारंभिक शेष	77,849	14,874	677,876	21,038	1,000	112,228	904
ख. निधि में परिवर्धन							
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-	-
iii. अन्य परिवर्धन - बैंक ब्याज	23,225	1,070	24,016	-	-	2,661	32
- टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-	-	-
- मंच किराया	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	23,225	1,070	24,016	-	-	2,661	32
कुल (क+ख)	101,074	15,944	701,892	21,038	1,000	114,889	936
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय							
i. पूँजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-	-
- स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय							
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-	-	-	70,000	-
- किराया	-	-	-	-	-	70,000	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-	-
- परियोजना व्यय	-	-	-	-	-	70,000	-
कुल	101,074	15,944	701,892	21,038	1,000	44,889	936
कुल (ख)							
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)							
निधियों का योग	101,074	15,944	701,892	21,038	1,000	44,889	936
चालू वर्ष	1	2	3	4	5	6	7
क. निधि का प्रारंभिक शेष	75,193	14,874	654,758	21,038	1,000	108,401	873
ख. निधि में परिवर्धन							
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-	-
iii. अन्य परिवर्धन - बैंक ब्याज	2,655	-	23,118	-	-	3,827	31
- टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-	-	-
- मंच किराया	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	2,655	-	23,118	-	-	3,827	31
कुल (क+ख)	77,849	14,874	677,876	21,038	1,000	112,228	904
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय							
i. पूँजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-	-
- स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय							
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-	-
- परियोजना व्यय	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)							
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)	77,849	14,874	677,876	21,038	1,000	112,228	904
निधियों का योग	77,849	14,874	677,876	21,038	1,000	112,228	904

## 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

### अनुसूची-3 का अनुबंध (जारी)

### निधि-वार ब्यौरा

	रमण महर्षि परियोजना भाग-2	शनिवारवाड़ा, पुणे परियोजना	राजा दिनकर केलकर संग्रहालय परियोजना	डी. जी. जैसलमेर किला परियोजना	चौधरी वरुण सिंह जन्मशताब्दी परियोजना	कै. एल. सहगल परियोजना	रामलीला परियोजना
चालू वर्ष	8	9	10	11	12	13	14
क. निधि का प्रारंभिक शेष	3,607	2,794,153	1,286,111	64,904,604	-	-	-
ख. निधि में परिवर्धन							
i. दान/अनुदान	-	408,395	-	-	-	-	-
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-	-
iii. अन्य परिवर्धन - बैंक ब्याज	-	95,239	45,408	4,216,885	-	-	-
- टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-	-	-
- मंच किराया	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	-	503,634	45,408	4,216,885	-	-	-
कुल (क+ख)	3,607	3,297,787	1,331,519	69,121,489	-	-	-
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय							
i. पूंजीगत व्यय							
- स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय							
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-	-
- परियोजना व्यय	3,607	683,938	-	5,026,529	-	-	-
कुल	3,607	683,938	-	5,026,529	-	-	-
कुल (ख)	3,607	683,938	-	5,026,529	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	-	2,613,849	1,331,519	64,094,960	-	-	-
निधियों का योग	-	2,613,849	1,331,519	64,094,960	-	-	-
<b>चालू वर्ष</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
क. निधि का प्रारंभिक शेष	3,607	2,680,247	1,242,270	49,100,242	9,000,000	437,519	659,762
ख. निधि में परिवर्धन							
i. दान/अनुदान	-	546,215	-	-	9,000,000	437,519	659,762
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	-	-	-	18,086,420	-	-	-
iii. अन्य परिवर्धन - बैंक ब्याज	-	45,089	46,770	-	-	-	-
- टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-	-	-
- मंच किराया	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	-	591,304	46,770	18,086,420	9,000,000	437,519	659,762
कुल (क+ख)	3,607	3,271,551	1,289,040	67,186,662	-	-	-
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय							
i. पूंजीगत व्यय							
- स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय							
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-	-
- परियोजना व्यय	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	477,398	2,929	2,282,058	-	-	-
कुल (ख)	-	477,398	2,929	2,282,058	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	-	477,398	2,929	2,282,058	-	-	-
निधियों का योग	3,607	2,794,153	1,286,111	64,904,604	-	-	-

# 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

## अनुसूची-3 का अनुबंध (जारी)

## निधि-वार ब्यौरा

	देवाहूति दामोदर स्वराज न्यास परियोजना	लोधी मकबरा परियोजना	लौरिया नंदनगढ़, बोकारो स्टील प्लांट परियोजना	आलमबाजार मठ, कोलकाता परियोजना	हिडिम्बा देवी मंदिर परियोजना, मनाली	गोल गुंबद, बीजापुर- एस टी सी परियोजना	वजीरपुर का गुंबद- पी ई सी परियोजना
चालू वर्ष	15	16	17	18	19	20	21
क. निधि का प्रारंभिक शेष	6,959	2,555,174	2,504,467	8,497,933	2,070,613	1,059,526	104,999
ख. निधि में परिवर्धन							
i. दान/अनुदान	-	-	-	182,957	-	-	-
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-	-
iii. अन्य परिवर्धन - बैंक ब्याज							
- टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	246	75,685	-	301,163	73,358	37,537	3,720
- मंच किराया	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	246	75,685	-	484,120	73,358	37,537	3,720
कुल (क+ख)	7,205	2,630,859	2,504,467	8,982,053	2,143,971	1,097,063	108,719
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय							
i. पूँजीगत व्यय							
- स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय							
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	96	-	-	-
- परियोजना व्यय	25	-	-	-	-	-	-
कुल	25	-	-	96	-	-	-
कुल (ख)	25	-	-	96	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	7,180	2,630,859	2,504,467	8,981,957	2,143,971	1,097,063	108,719
निधियों का योग	7,180	2,630,859	2,504,467	8,981,957	2,143,971	1,097,063	108,719
<b>चालू वर्ष</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
क. निधि का प्रारंभिक शेष	6,721	38,960	2,504,467	6,761,714	2,000,000	1,023,394	101,418
ख. निधि में परिवर्धन							
i. दान/अनुदान	-	2,500,000	-	1,484,714	-	-	-
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-	-
iii. अन्य परिवर्धन - बैंक ब्याज	238	16,214	-	252,210	70,613	36,132	3,581
- टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-	-	-
- मंच किराया	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	238	2,516,214	-	1,736,924	70,613	36,132	3,581
कुल (क+ख)	6,959	2,555,174	2,504,467	8,498,638	2,070,613	1,059,526	104,999
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय							
i. पूँजीगत व्यय							
- स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय							
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-	-
- परियोजना व्यय	-	-	-	705	-	-	-
कुल	-	-	-	705	-	-	-
कुल (ख)	-	-	-	705	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	6,959	2,555,174	2,504,467	8,497,933	2,070,613	1,059,526	104,999
निधियों का योग	6,959	2,555,174	2,504,467	8,497,933	2,070,613	1,059,526	104,999

## 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

### अनुसूची-3 का अनुबंध (जारी)

### निधि-वार ब्यौरा

	तुंगलकाबाद किला परियोजना	हम्पी फाउंडेशन परियोजना	इंडियन ऑयल फाउंडेशन परियोजना	किशोरी अमोनकर पर वृत्तचित्र परियोजना	हजारद्वारी, मुर्शिदाबाद परियोजना	नौरस न्यास परियोजना	एनसीएफ- एनटीपीसी परियोजना
चालू वर्ष	22	23	24	25	26	27	28
क. निधि का प्रारंभिक शेष	3,000,000	4,030,763	10,365,732	-	-	-	-
ख. निधि में परिवर्धन							
i. दान/अनुदान	-	-	-	11,121,250	2,000,000	1,500,000	5,000,000
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-	-
iii. अन्य परिवर्धन - बैंक ब्याज	178,813	138,534	359,818	73,128	75,163	46,936	302,126
- टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-	-	-
- मंच किराया	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	178,813	138,534	359,818	11,194,378	2,075,163	1,546,936	5,302,126
कुल (क+ख)	3,178,813	4,169,297	10,725,550	11,194,378	2,075,163	1,546,936	5,302,126
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय							
i. पूंजीगत व्यय							
- स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय							
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-	-
- परियोजना व्यय	-	443,957	-	8,500,050	1,250	-	-
कुल	-	443,957	-	8,500,050	1,250	-	-
कुल (ख)	-	443,957	-	8,500,050	1,250	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	3,178,813	3,725,340	10,725,550	2,694,328	2,073,913	1,546,936	5,302,126
निधियों का योग	3,178,813	3,725,340	10,725,550	2,694,328	2,073,913	1,546,936	5,302,126
चालू वर्ष	22	23	24	25	26	27	28
क. निधि का प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-	-
ख. निधि में परिवर्धन							
i. दान/अनुदान	3,000,000	4,024,900	10,365,732	-	-	-	-
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-	-
iii. अन्य परिवर्धन - बैंक ब्याज	-	5,863	-	-	-	-	-
- टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	-	-	-	-	-	-	-
- मंच किराया	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	3,000,000	4,030,763	10,365,732	-	-	-	-
कुल (क+ख)	3,000,000	4,030,763	10,365,732	-	-	-	-
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय							
i. पूंजीगत व्यय							
- स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय							
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-	-
- परियोजना व्यय	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	-	-	-	-	-	-	-
निधियों का योग	3,000,000	4,030,763	10,365,732	-	-	-	-

# 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

## अनुसूची-3 का अनुबंध (जारी)

## निधि-वार ब्यौरा

	श्रीमती मृणालिनी सारामाई पर फिल्म की परियोजना	ओएनजीसी-राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना	इंडिया फोटो अभिलेख न्यास पर परियोजना	योग
<b>चालू वर्ष</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	
क. निधि का प्रारंभिक शेष	-	-	-	104,090,410
ख. निधि में परिवर्धन				
i. दान/अनुदान	2,000,000	1,345,980	2,000,000	25,558,582
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-
iii. अन्य परिवर्धन - बैंक ब्याज	3,772	1,649	6,457	6,086,641
- टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	-	-	-	-
- मंच किराया	-	-	-	-
<b>कुल (ख)</b>	<b>2,003,772</b>	<b>1,347,629</b>	<b>2,006,457</b>	<b>31,645,223</b>
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>2,003,772</b>	<b>1,347,629</b>	<b>2,006,457</b>	<b>135,735,633</b>
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय				
i. पूंजीगत व्यय				
- स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	96
- परियोजना व्यय	1,700,050	1,335,600	1,950,000	19,715,006
<b>कुल</b>	<b>1,700,050</b>	<b>1,335,600</b>	<b>1,950,000</b>	<b>19,715,102</b>
<b>कुल (ख)</b>	<b>1,700,050</b>	<b>1,335,600</b>	<b>1,950,000</b>	<b>19,715,102</b>
<b>वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)</b>	<b>303,722</b>	<b>12,029</b>	<b>56,457</b>	<b>116,020,531</b>
<b>निधियों का योग</b>	<b>303,722</b>	<b>12,029</b>	<b>56,457</b>	<b>116,020,531</b>
<b>चालू वर्ष</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	
क. निधि का प्रारंभिक शेष	-	-	-	76,436,459
ख. निधि में परिवर्धन				
i. दान/अनुदान	-	-	-	11,824,280
ii. निधि में किए गए निवेशों से आय	-	-	-	18,086,420
iii. अन्य परिवर्धन - बैंक ब्याज	-	-	-	506,341
- टिकटों की बिक्री (प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन)	-	-	-	-
- मंच किराया	-	-	-	-
<b>कुल (ख)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,417,041</b>
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106,853,500</b>
ग) निधि के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय				
i. पूंजीगत व्यय				
- स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	705
- परियोजना व्यय	-	-	-	2,762,384
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,763,090</b>
<b>कुल (ख)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,763,089</b>
<b>वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104,090,410</b>
<b>निधियों का योग</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104,090,410</b>

## 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची-4 सुरक्षित ऋण एवं उधार राशि

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	—	—
2. राज्य सरकार (विशिष्ट उल्लेख करें)	—	—
3. वित्तीय संस्थान		
क. सावधि ऋण	—	—
ख. प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	—	—
4. बैंक		
क. सावधि ऋण	—	—
— प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	—	—
ख. अन्य ऋण (विशिष्ट उल्लेख करें)	—	—
— प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	—	—
5. अन्य संस्थान तथा अभिकरण	—	—
6. ऋण-पत्र और बंध-पत्र	—	—
7. अन्य (विशिष्ट उल्लेख करें)	—	—
<b>कुल</b>	—	—

टिप्पणी — एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची-5 असुरक्षित ऋण और उधार राशियां

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	—	—
2. राज्य सरकार (विशिष्ट उल्लेख करें)	—	—
3. वित्तीय संस्थान	—	—
4. बैंक		
क. सावधि ऋण	—	—
ख. अन्य ऋण (विशिष्ट उल्लेख करें)	—	—
5. अन्य संस्थान तथा अभिकरण	—	—
6. ऋण-पत्र और बंध-पत्र	—	—
7. सावधि जमा	—	—
8. अन्य (विशिष्ट उल्लेख करें)	—	—
<b>कुल</b>	—	—

## 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

### अनुसूची-6 आस्थगित उधार देयताएं

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
क. पूंजीगत उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों के गिरवी द्वारा प्राप्तियां	—	—
ख. अन्य	—	—
<b>कुल</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

### अनुसूची-7 चालू देयताएं एवं प्रावधान

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष		गत वर्ष	
<b>क. चालू देयताएं</b>				
1. प्राप्तियां		—		—
2. विविध ऋणदाता				
क) माल के लिए		—		—
ख) अन्य (परियोजना)				
नौरस न्यास परियोजना की ओर से प्राप्त दान	33,095	33,095	—	—
3. प्राप्त अग्रिम राशियां	462,051	462,051	462,051	462,051.00
4. निम्नलिखित पर प्रोद्भूत ब्याज किन्तु देय नहीं				
क) सुरक्षित ऋण/उधार		—		—
ख) असुरक्षित ऋण/उधार		—		—
5. सांविधिक देयताएं				
क) अतिदेय				
ख) अन्य : संदेय आयकर	1,000	1,000	9,201.00	9,201.00
6. अन्य चालू देयताएं : अग्रिम धन				—
: संदेय व्यय	161,254		180,290	—
: राष्ट्रीय संग्रहालय को संदेय	742,475		742,475	—
: संस्कृति मंत्रालय को संदेय	10,097,281	11,001,010	10,097,281	11,020,046
<b>कुल (क)</b>		<b>11,497,156</b>		<b>11,491,298</b>
<b>ख. प्रावधान</b>				
1. कराधान के लिए		—		—
2. उपदान		—		—
3. अधिवर्षिता/पेंशन		—		—
4. संचित अवकाश नकदीकरण		—		—
5. व्यापार वारंटियां/दावे		—		—
6. अन्य : स्थापना व्यय – वेतन		—		—
: अन्य व्यय		47,006		18,000.00
<b>कुल (ख)</b>		<b>47,006</b>		<b>18,000</b>
<b>कुल (क + ख)</b>		<b>11,544,162</b>		<b>11,509,298</b>

## 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची-8 स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि रुपयों में)

विवरण	सकल खंड				
	मूल्यहास दर	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन
<b>क. स्थायी परिसंपत्तियां</b>					
<b>1. भूमि</b>					
क) पूर्ण स्वामित्व		—	—	—	—
ख) पट्टाशुदा		—	—	—	—
<b>2. भवन</b>					
क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर		—	—	—	—
ख) पट्टाशुदा भूमि पर		—	—	—	—
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर		—	—	—	—
घ) भूमि पर उपरी ढांचा जो इस निकाय का नहीं है		—	—	—	—
<b>3. संयंत्र मशीनरी एवं उपस्कर</b>					
एयर कंडीशनर	15%	57,500	—	—	57,500
वाल्टेज स्टेबलाइजर	15%	4,800	—	—	4,800
रेफ्रिजरेटर	15%	7,063	—	—	7,063
<b>4. वाहन</b>					
<b>5. फर्नीचर एवं फिक्सचर</b>					
फर्नीचर मदें	10%	114,160	96,499	—	210,659
<b>6. कार्यालय उपस्कर</b>					
फोटो कॉपियर	15%	303,387	381,992	—	685,379
फैक्स मशीन	15%	27,500	—	—	27,500
<b>7. कम्प्यूटर/बाह्य सामान</b>					
कम्प्यूटर हार्डवेयर	60%	315,676	320,045	—	635,721
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	60%	19,290	5,100	—	24,390
<b>8. वैद्युत संस्थापन</b>					
<b>9. पुस्तकालय पुस्तकें</b>					
<b>10. ट्यूबवेल और जल आपूर्ति</b>					
<b>11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां</b>					
चालू वर्ष का योग		<b>849,376</b>	<b>803,636</b>	—	<b>1,653,012</b>
गत वर्ष		<b>849,376</b>	—	—	<b>849,376</b>

(उपर्युक्त में शामिल भाड़ा - खरीद आधार पर परिसंपत्तियों के बारे में दी जाने वाली टिप्पणी)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित लेखाकरण के नए लेखांकन फार्मट की अपेक्षा का पालन करने के लिए स्थायी परिसंपत्तियों के सामूहिकरण में परिवर्तन किया गया है।

## 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची-8 स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि रुपयों में)

विवरण	मूल्यहास				निवल खंड	
	वर्ष के अंत में प्रारंभ	वर्ष के दौरान परिवर्धनों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत में	गत वर्ष के अंत में
<b>क. स्थायी परिसंपत्तियां</b>						
<b>1. भूमि</b>						
क) पूर्ण स्वामित्व	—	—	—	—	—	—
ख) पट्टाशुदा	—	—	—	—	—	—
<b>2. भवन</b>						
क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर	—	—	—	—	—	—
ख) पट्टाशुदा भूमि पर	—	—	—	—	—	—
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	—	—	—	—	—	—
घ) भूमि पर उपरी ढांचा जो इस निकाय का नहीं है	—	—	—	—	—	—
<b>3. संयंत्र मशीनरी एवं उपस्कर</b>						
एयर कंडीशनर	54,849	398	—	55,247	2,253	2,651
वाल्टेज स्टैब्लाइजर	4,579	33	—	4,612	188	221
रेफ्रिजरेटर	6,629	65	—	6,694	369	434
<b>4. वाहन</b>	—	—	—	—	—	—
<b>5. फर्नीचर एवं फिक्सचर</b>						
फर्नीचर मर्चे	82,681	7,973	—	90,654	120,005	31,479
<b>6. कार्यालय उपस्कर</b>						
फोटो कॉपियर	259,830	35,183	—	295,013	390,366	43,557
फैक्स मशीन	23,704	569	—	24,273	3,227	3,796
<b>7. कम्प्यूटर/बाह्य सामान</b>						
कम्प्यूटर हार्डवेयर	293,222	109,486	—	402,708	233,013	22,454
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	19,133	1,624	—	20,757	3,633	157
<b>8. वैद्युत संस्थापन</b>	—	—	—	—	—	—
<b>9. पुस्तकालय पुस्तकें</b>	—	—	—	—	—	—
<b>10. ट्यूबवेल और जल आपूर्ति</b>	—	—	—	—	—	—
<b>11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां</b>	—	—	—	—	—	—
<b>चालू वर्ष का योग</b>	<b>744,627</b>	<b>155,331</b>	<b>—</b>	<b>899,958</b>	<b>753,054</b>	<b>104,749</b>
<b>गत वर्ष</b>	<b>698,273</b>	<b>46,354</b>	<b>—</b>	<b>744,627</b>	<b>104,749</b>	<b>151,103</b>

## 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची-9 उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों से निवेश

(राशि रुपये में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	—	—
3. शेयर्स	—	—
4. ऋण पत्र और बंध पत्र	—	—
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	—	—
6. अन्य (विनिर्दिष्ट परियोजनाएं : एफ. डी. आर.)		
ज्ञान प्रवाह परियोजना — एफ डी आर	—	—
चौधरी चरण सिंह जयंती परियोजना — एफ डी आर	—	—
डी. जी. जैसलमेर परियोजना — एफ डी आर	—	—
<b>कुल</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

अनुसूची-10 निवेश — अन्य

(राशि रुपये में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	—	—
3. शेयर्स	—	—
4. ऋण पत्र और बंध पत्र	—	—
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	—	—
6. अन्य (विनिर्दिष्ट की जानी हैं)	—	—
<b>कुल</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

अनुसूची — 11 चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम धन आदि

(राशि रुपये में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
<b>क. चालू परिसंपत्तियां</b>		
1. माल सूची		
क) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	—	—
ख) खुले औजार	—	—
ग) व्यापार में शेष माल		
तैयार माल	—	—
चालू कार्य	—	—
कच्चा माल	—	—
2. विविध ऋणदाता		
क) छह मास से अधिक अवधि से बकाया ऋण	—	—
ख) अन्य —	—	—
3. हाथ रोकड़ शेष (चैक/ड्राफ्ट तथा अग्रदाय सहित) — अनुबंध-1 संलग्न	23	363

## 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची - 11 चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम धन आदि

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
4. बैंक में शेष राशि :				
क. अनुसूचित बैंकों में : अनुबंध-1 संलग्न				
- चालू खाते में				
- सावधि जमा खाते में (मार्जिन राशि भी शामिल है)	203,089,052		370,767,532	
- व्दअपदह  बबवनदजे	229,747,105	432,836,157	41,771,308	412,538,840
ख. गैर अनुसूचित बैंकों में :				
- चालू खाते में	-		-	
- सावधि खाते में	-		-	
- बचत खाते में	-		-	
5. डाकघर - बचत खाते				
<b>कुल (क) - विवरण संलग्न अनुबंध के अनुसार</b>	<b>432,836,180</b>		<b>412,539,203</b>	
ख. ऋण, अग्रिमधन और अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण				
क) स्टाफ		-		
ख) निकाय के समतुल्य क्रियाकलापों/ उद्देश्यों में लगे अन्य निकाय		-		
ग) अन्य		-		
2. अग्रिम धन और अन्य रकमें जो नकदी में या वस्तु रूप में या प्राप्तव्य मूल्य पर वसूलनीय				
क) पूंजीगत खाता		-		
ख) पूर्व भुगतान	30,000		180,000	
ग) अन्य - महानिदेशक (ए एस आई)		-		
घ) अन्य - महानिदेशक (ए एस आई) : टी एम सी सी जमा - ताजमहल परियोजना : अन्य (बाल अकादमी परियोजना, दुर्गापुर)	30,000		180,000	
3. प्रोद्भूत आय				
क) उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों से निवेश पर		-		
ख) अन्य - निवेशों पर	237,605		623,637	
ग) ऋण और अग्रिम धनों पर		-		
घ) अन्य	237,605		623,637	
4. प्राप्य दावे/टी डी एस वसूली योग्य		9,088,672		6,129,957
<b>कुल (ख)</b>	<b>9,356,277</b>		<b>6,933,594</b>	
<b>कुल (क + ख)</b>	<b>442,192,458</b>		<b>419,472,797</b>	

## 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में समाविष्ट अनुसूचियां

अनुसूची 11 'क' का अनुबंध-1

अतिशेष	(रुपये में)		(रुपये में)	
	31.03.2011 के अनुसार		31.03.2010 के अनुसार	
<b>1 रोकड़ शेष</b>				
एन सी एफ - अग्रदाय	23		363	
विशिष्ट परियोजनाएं	=		=	
<b>कुल 1</b>	<b>23</b>		<b>363</b>	
<b>2 बैंक शेष</b>				
अनुसूचित बैंकों के बैंक शेष				
क) चालू खातों पर				
ख) मार्जिन राशि सहित जमा लेखा में				
एन सी एफ मुख्यालय				
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, नई दिल्ली	25,601,032		130,954,110	
आई सी आई सी आई बैंक, नई दिल्ली	100,000,000		118,692,852	
बैंक ऑफ बड़ोदा, नई दिल्ली			56,331,465	
<b>विशिष्ट परियोजनाएं</b>				
सावधि जमा - परियोजना - जैसलमेर	77,488,020	203,089,052	64,789,105,00	370,767,532
ग) बचत खाते में				
एन सी एफ मुख्यालय				
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला - खाता सं. 55113357445	267,015		316,236	
आई सी आई सी आई बैंक - खाता सं. 054801000423	4,014,816		(54,485)	
आई डी बी आई बैंक - खाता सं. 0127104500000055	185,686,548			
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला - एफसीआरए	2,394,456	192,362,835	2,274,260	2,536,010
खाता सं. 55113357456				
<b>विशिष्ट परियोजनाएं</b>				
बाल अक्रादमी परियोजना, दुर्गापुर	101,074		77,849	
हुमायूं का मकबरा परियोजना	15,944		14,874	
जैसलमेर किला परियोजना - बैंक	117,660		115,499	
जंतर मंतर परियोजना	701,892		677,876	
ज्ञान प्रवाह परियोजना	21,038		21,038	
कर्नाटक चित्रकला परियोजना	1,000		1,000	
किष्किन्धा न्यास परियोजना	44,889		112,228	
तुंगलकाबाद किला परियोजना	100,000		3,000,000	
रमण महर्षि परियोजना - भाग-1	936		904	
देवाहूति दामोदर स्वराज न्यास परियोजना	7,180		6,959	
राजा दिनकर केलकर संग्रहालय परियोजना	1,331,519		1,286,111	
शनिवारवाड़ा परियोजना	2,613,849		2,794,153	
आलमबाजार मठ परियोजना	8,981,957		8,497,933	
गोल गुम्बज परियोजना	1,097,063		1,059,526	
हिडिम्बा मंदिर परियोजना, मनाली	2,143,971		2,070,613	
लौरिया नंदनगढ़ परियोजना - बोकारो	2,504,467		2,504,467	
वजीरपुर का गुम्बज परियोजना	108,719		104,999	
इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान परियोजना	10,665,212		10,299,725	
रमण महर्षि परियोजना - भाग-2			3,607	
हम्पी प्रतिष्ठान परियोजना	3,725,340		4,030,763	
लोधी मकबरा परियोजना	2,630,859		2,555,174	
किशोरी अमोनकर वृत्तचित्र परियोजना - बैंक	50,200		-	
हजारद्वारी मुर्शिदाबाद परियोजना	100,750		-	
भारतीय फोटो अभिलेख परियोजना	52,001		-	
नौरस न्यास परियोजना	100,000		-	
एन सी एफ परियोजना - एन टी पी सी	100,000		-	
श्रीमती मृणालिनी साराभाई पर फिल्म परियोजना	54,722		-	
ओ एन जी सी राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना	12,029	37,384,271	-	39,235,298
<b>कुल 2</b>	<b>432,836,157</b>		<b>412,538,840</b>	
<b>महायोग 1 + 2</b>	<b>432,836,180</b>		<b>412,539,203</b>	

## 31.03.2011 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

### अनुसूची - 12 बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
1) बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	—	—
ख) कच्चे माल की बिक्री	—	—
ग) रद्दी माल की बिक्री	—	—
2) सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रक्रियागत प्रभार	—	—
ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं	—	—
ग) एजेन्सी कमीशन और दलाली	—	—
घ) अनुसंधान सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	—	—
ङ) अन्य (विशिष्ट उल्लेख करें)	—	—
<b>कुल</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

### अनुसूची - 13 अनुदान/सहायिकी

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
(प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान और सहायिकी)		
1) केन्द्रीय सरकार	—	—
2) राज्य सरकार	—	—
3) सरकारी एजेंसी	—	—
4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय	—	—
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन	—	—
6) अन्य : दान	—	—
<b>कुल</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

### अनुसूची - 14 शुल्क/चंदा

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
1) प्रवेश शुल्क	—	—
2) वार्षिक शुल्क/चंदा	—	—
3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	—	—
4) परामर्श शुल्क	—	—
5) अन्य (विशिष्ट उल्लेख करें)	—	—
<b>कुल</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## 31.03.2011 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

### अनुसूची – 15 निवेशों से आय

(राशि रुपयों में)

	निवेश में निर्धारित तिथि	अन्य निवेश
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	—	—
ख) अन्य ब्रांड/ऋण पत्र	—	—
2) लाभांश		
क) शेयरों पर	—	—
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	—	—
3) किराया	—	—
4) अन्य परियोजनाओं से संबंधित सावधि जमा	—	—
घटाएं : उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि में अंतरित		
<b>कुल उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि में अंतरित</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

### अनुसूची – 16 रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
1 रॉयल्टी से आय	—	—
2 प्रकाशनों से आय	—	—
3 अन्य	—	—
<b>कुल</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

### अनुसूची – 17 अर्जित ब्याज

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
1 सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंकों में	19,719,897	20,590,582
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में		
ग) अन्य		
2 बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों में	103,009	385,005
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में	—	—
ग) डाक घर बचत खातों में	—	—
घ) अन्य	—	—
3 ऋण राशि पर		
क) कर्मचारीगण	—	—
ख) अन्य	—	—
4 देनदारों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज	—	—
<b>कुल</b>	<b>19,822,906</b>	<b>20,975,587</b>

## 31.03.2011 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

### अनुसूची - 18 अन्य आय

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1 परिसंपत्तियों की बिक्री/व्ययन से आय		
क) स्वामित्वाधीन परिसंपत्तियां	—	—
ख) अनुदानों से अर्जित, अथवा निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	—	—
2 प्राप्त किए गए निर्यात प्रोत्साहन	—	—
3 विविध सेवाओं के लिए शुल्क	—	—
4 विविध आय	—	—
<b>कुल</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

### अनुसूची - 19 तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) तथा चालू कार्य

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) अंतिम स्टॉक		
— तैयार माल	—	—
— चालू कार्य	—	—
ख) घटाएं : आरंभिक स्टॉक		
— तैयार माल	—	—
— चालू कार्य	—	—
<b>निवल वृद्धि/(कमी) (क - ख)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

### अनुसूची - 20 स्थापना व्यय

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	1,677,946	971,461
ख) भत्ते और बोनस	—	—
ग) भविष्यनिधि में अंशदान	—	—
घ) अन्य निधि में अंशदान (विशिष्ट उल्लेख करें)	—	—
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	—	—
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ संबंधी व्यय	—	—
छ) अन्य : मानदेय	145,000	—
<b>कुल</b>	<b>1,822,946</b>	<b>971,461</b>

## 31.03.2011 को समाप्त अवधि/वर्ष के संबंध में आय और व्यय में समाविष्ट अनुसूचियां

### अनुसूची – 21 अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
क) मरम्मत तथा अनुरक्षण	8,104	11,500
ख) डाक खर्च, टेलीफोन, संचार एवं इंटरनेट प्रभार	51,734	44,834
ग) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	100,716	11,579
घ) यात्रा एवं परिवहन खर्च	82,017	88,697
ङ) व्यावसायिक प्रभार	570,000	445,450
च) कार्यालय खर्च	58,768	42,571
छ) कम्प्यूटर खर्च	22,643	8,360
ज) सुरक्षा गार्ड खर्च	148,059	107,436
झ) टैक्सी किराया प्रभार	255,115	200,209
ञ) पैविलियन का किराया	—	18,750
ट) विज्ञापन खर्च	535,854	—
ठ) सफाई खर्च	19,984	—
ड) विद्युत खर्च	3,237	—
ढ) मनोरंजन खर्च	74,464	—
ण) बैठक खर्च	5,267	—
<b>कुल</b>	<b>1,935,962</b>	<b>979,386</b>

### अनुसूची – 22 अनुदान, सहायिकियों आदि व्यय

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		
मार्ग प्रकाशन को दिया गया अनुदान	—	600,000
इन्टेक को दिया गया अनुदान	—	50,000
किशोरी अमोनकर पर वृत्तचित्र को दिया गया अनुदान	2,500,000	—
मुणालिनी साराभाई को दिया गया अनुदान	1,000,000	—
इंडिया फोटो अभिलेख को दिया गया अनुदान	1,000,000	—
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिकियां	—	—
<b>कुल</b>	<b>4,500,000</b>	<b>650,000</b>

### अनुसूची – 23 ब्याज

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
क) सावधि ऋण पर	—	—
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	—	—
ग) बैंक प्रभार	5,686	535
<b>कुल</b>	<b>5,686</b>	<b>535</b>

## 31.03.2011 को समाप्त वर्ष का प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	चालु वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालु वर्ष	गत वर्ष
<b>I. प्रारंभिक शेष</b> (अनुबंध 'क' के अनुसार)			<b>I. व्यय</b>		
(क) हाथ रोकड़	363	4,119	(क) स्थापना व्यय (अनुबंध 'ग' के अनुसार)	1,829,946	1,024,061
(ख) बैंक शेष			(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुबंध 'घ' के अनुसार)	1,782,879	961,921
<b>(I) चालू खातों में</b>			<b>II. निधियों में से किए भुगतान</b> अनुदान संबंधी व्यय (अनुसूची 22 के अनुसार)	4,500,000	650,000
(i) जमा खातों में	370,767,532	257,608,518	उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि (अनुबंध 'ख' के अनुसार)	19,715,102	(7,334,191)
(ii) बचत खातों में	41,771,308	98,247,081	<b>III. किए गए निवेश तथा जमा राशियां</b>		
<b>II. प्राप्त अनुदान</b>			(क) उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों में से	-	-
(क) भारत सरकार से	-	-	(ख) अपनी निधियों में से (निवेश - अन्य)	-	-
(ख) राज्य सरकार से	-	-	<b>IV. स्थायी परिसंपत्तियों तथा चालू पूंजीगत कार्य पर व्यय</b>		
(ग) अन्य स्रोतों से (विवरण)	-	-	(क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	803,636	-
<b>III. निवेशों से आय</b>			(ख) चालू पूंजीगत कार्य पर व्यय	-	-
(क) उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	-	-	<b>V. अधिशेष (सरप्लस) धन/ऋणों की वापसी</b>		
(ख) अपनी निधियां (अन्य निवेश)	-	-	(क) भारत सरकार को	-	-
<b>IV. प्राप्त ब्याज</b>			(ख) राज्य सरकार को	-	-
(क) बैंक जमा राशियों पर	17,250,222	21,242,983	(ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को	-	-
(ख) ऋण, अग्रिम आदि	-	-	<b>VI. वित्त प्रभार (ब्याज)</b>		
<b>V. अन्य आय (विशिष्ट उल्लेख करें)</b>			<b>VII. अन्य भुगतान (विशिष्ट उल्लेख करें)</b>		
दान	-	-	कर वसूली	-	-
रॉयल्टी से आय	-	-	ऋणदाता को भुगतान	-	-
<b>VI. कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)</b>			विविध अग्रिम	-	150,000
(क) उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि			<b>VIII. अंतिम शेष</b>		
निधियों में परिवर्धन (अनुबंध 'ख' के अनुसार)	31,645,223	30,417,041	(क) हाथ रोकड़	23	363
(ख) प्राप्त विविध जमा	33,095	-	(क) बैंक शेष		
(ग) विविध आय	-	462,051	(i) चालू खातों में		
(घ) टी.डी.एस. देय		9,201	(ii) जमा खातों में	203,089,052	370,767,532
<b>कुल</b>	<b>461,467,743</b>	<b>407,990,994</b>	(iii) बचत खातों में	229,747,105	41,771,308
			<b>कुल</b>	<b>461,467,743</b>	<b>407,990,994</b>

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट  
हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार  
कृते विपुल कुमार एवं कंपनी  
सनदी लेखाकार

ह0/-  
(भागीदार)

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 30.06.2011

कृते एवं राष्ट्रीय संस्कृति निधि  
की ओर से

ह0/-  
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

# 31.03.2011 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खातों संबंधी समाविष्ट अनुबंध

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष	
हाथ रोकड़	363	4,119	
विशिष्ट परियोजनाएं			
नकदी/रोकड़			
शनिवारवाड़ा परियोजना	—	—	
अग्रदाय	—	—	
ज्ञान प्रवाह परियोजना, कोलकाता	—	—	
किष्किन्धा न्यास परियोजना	—	—	4,119
<b>बैंक शेष</b>			
अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष :			
क) चालू खातों में			
ज्ञान प्रवाह परियोजना, कोलकाता, एस. बी. आई., नई दिल्ली खाता सं० 1000/067009	—	—	
ताज महल परियोजना	—	—	
ख) जमा खातों में मार्जिन मनी शामिल			
एन सी एफ मुख्यालय			
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, नई दिल्ली	130,954,110	114,266,043	
आई सी आई सी आई बैंक, नई दिल्ली	118,692,852	92,600,000	
बैंक ऑफ बड़ौदा, नई दिल्ली	56,331,465	50,000,000	
सावधि जमा, मंत्रालय निधि	—	742,475	
	<b>305,978,427</b>	<b>257,608,518</b>	
विशिष्ट परियोजनाएं			
ज्ञान प्रवाह परियोजना - एफ डी आर	—	—	
चौधरी चरण सिंह जयंती परियोजना - एफ डी आर	—	—	
डी जी, जैसलमेर परियोजना - एफ डी आर	72,589,105	—	
	<b>72,589,105</b>	<b>378,567,532</b>	<b>257,608,518</b>
ग) बचत खातों पर			
एन सी एफ मुख्यालय			
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला - खाता सं० 119005006	316,236	69,691,878	
आई सी आई सी आई	—	25,000	
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला - एफ सी आर ए खाता सं० 11900500600	2,274,260	2,191,026	
	<b>2,536,010</b>	<b>71,907,904</b>	
विशिष्ट परियोजनाएं			
बाल अकादमी परियोजना, दुर्गापुर	77,849	75,193	
हुमायूं का मकबरा परियोजना	15,399	14,874	
जैसलमेर किला परियोजना - बैंक	115,499	9,100,242	
जंतर मंतर परियोजना	677,876	654,759	
ज्ञान प्रवाह परियोजना	21,038	21,038	
कर्नाटक चित्रकला परियोजना	1,000	1,000	
किष्किन्धा न्यास परियोजना	112,228	108,401	
आलमबाजार मठ परियोजना	8,497,933	6,761,714	
गोल गुम्बज परियोजना	1,059,526	1,023,394	
हिडिम्बा मंदिर परियोजना, मनाली	2,070,613	2,000,000	
लौरिया नंदनगढ़ परियोजना - बोकारो	2,504,467	2,504,467	
वजीरपुर का गुम्बज परियोजना	104,999	101,418	
रमण महर्षि परियोजना - भाग-1	904	873	
देवाहूति दामोदर स्वराज न्यास परियोजना	6,959	6,721	
राजा दिनकर केलकर संग्रहालय परियोजना	1,286,111	1,242,270	
शनिवारवाड़ा परियोजना	2,794,153	2,680,247	
तुगलकाबाद किला परियोजना	3,000,000	—	
रमण महर्षि परियोजना - भाग-2	3,607	3,607	
हम्पी प्रतिष्ठान परियोजना	4,030,763	—	
इंडियन ऑयल प्रतिष्ठान परियोजना - एस बी ओ एच	10,299,725	—	
लोधी मकबरा परियोजना	2,555,174	38,960	
	<b>39,235,823</b>	<b>41,771,833</b>	<b>26,339,178</b>
			<b>98,247,082</b>

## 31.03.2011 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खातों संबंधी समाविष्ट

### अनुबंध

(राशि रूपयों में)

प्राप्तियां	चालु वर्ष	गत वर्ष
<b>विशिष्ट परियोजनाएं</b>		
बाल अकादमी परियोजना, दुर्गापुर	23,225	2,655
हुमायूं का मकबरा परियोजना, दिल्ली	1,070	—
जंतर मंतर परियोजना, दिल्ली	24,016	23,118
ज्ञान प्रवाह परियोजना, कोलकाता	—	—
कर्नाटक चित्रकला परिषद परियोजना, बेंगलूरु	—	—
किष्किन्धा ट्रस्ट परियोजना	2,661	3,827
रमण महर्षि परियोजना भाग-1	32	—
रमण महर्षि परियोजना भाग-2	—	31
शनिवारवाड़ा परियोजना, पुणे	503,634	591,304
राजा दिनकर केलकर संग्रहालय परियोजना	45,408	46,770
डी. जी. जैसलमेर किला परियोजना	4,216,885	18,086,420
चौधरी चरण सिंह जन्मशताब्दी परियोजना	—	,9,000,000₹
के. एल. सहगल परियोजना	—	,437,519₹
रामलीला परियोजना	—	,659,762₹
देवाहूति दामोदर स्वराज न्यास परियोजना	246	238
लोधी मकबरा परियोजना	75,685	2,516,214
लौरिया नंदनगढ़, बोकारो स्टील प्लांट परियोजना	—	—
आलमबाजार मठ, कोलकाता परियोजना	484,120	1,736,924
हिडिम्बा देवी मंदिर परियोजना, मनाली	73,358	70,613
गोल गुंबद, बीजापुर-एस टी सी परियोजना	37,537	36,132
वजीरपुर का गुंबद - पी ई सी परियोजना	3,720	3,581
तुगलकाबाद किला परियोजना	178,813	3,000,000
हम्पी फाउंडेशन परियोजना	138,534	4,030,763
इंडियन ऑयल फाउंडेशन परियोजना	359,818	10,365,732
किशोरी अमोनकर पर वृत्तचित्र परियोजना	11,194,378	—
हज़ारद्वारी, मुर्शिदाबाद परियोजना	2,075,163	—
नौरस न्यास परियोजना	1,546,936	—
एन सी एफ - एन टी पी सी परियोजना	5,302,126	—
श्रीमती मृणालिनी सारामाई पर फिल्म की परियोजना	2,003,772	—
ओ एन जी सी - राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना	1,347,629	—
इंडिया फोटो अभिलेख न्यास पर परियोजना	2,006,457	—
<b>कुल</b>	<b>31,645,223</b>	<b>30,417,041</b>

## 31.03.2011 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खातों संबंधी समाविष्ट अनुबंध

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	चालु वर्ष	गत वर्ष
<b>विशिष्ट परियोजनाएं</b>		
बाल अकादमी परियोजना, दुर्गापुर	—	—
हुमायूं का मकबरा परियोजना, दिल्ली	—	—
जंतर मंतर परियोजना, दिल्ली	—	—
ज्ञान प्रवाह परियोजना, कोलकाता	—	—
कर्नाटक चित्रकला परिषद परियोजना, बेंगलूरु	—	—
किष्किन्हा ट्रस्ट परियोजना	70,000	—
रमण महर्षि परियोजना भाग-1	—	—
रमण महर्षि परियोजना भाग-2	3,607	—
शनिवारवाड़ा परियोजना, पुणे	683,938	477,398
राजा दिनकर केलकर संग्रहालय परियोजना	—	2,929
डी. जी. जैसलमेर किला परियोजना	5,026,529	2,282,058
चौधरी चरण सिंह जन्मशताब्दी परियोजना	—	—
के. एल. सहगल परियोजना	—	—
रामलीला परियोजना	—	—
देवाहूति दामोदर स्वराज न्यास परियोजना	25	—
लोधी मकबरा परियोजना	—	—
लौरिया नंदनगढ़, बोकारो स्टील प्लांट परियोजना	—	—
आलमबाजार मठ, कोलकाता परियोजना	96	705
हिडिम्बा देवी मंदिर परियोजना, मनाली	—	—
गोल गुंबद, बीजापुर-एस टी सी परियोजना	—	—
वजीरपुर का गुंबद - पी ई सी परियोजना	—	—
तुगलकाबाद किला परियोजना	—	—
हम्पी फाउंडेशन परियोजना	443,957	—
इंडियन ऑयल फाउंडेशन परियोजना	—	—
किशोरी अमोनकर पर वृत्तचित्र परियोजना	8,500,050	—
हज़ारद्वारी, मुर्शिदाबाद परियोजना	1,250	—
नौरस न्यास परियोजना	—	—
एन सी एफ - एन टी पी सी परियोजना	—	—
श्रीमती मृणालिनी साराभाई पर फिल्म की परियोजना	1,700,050	—
ओ एन जी सी - राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना	1,335,600	—
इंडिया फोटो अभिलेख न्यास पर परियोजना	1,950,000	—
<b>कुल</b>	<b>19,715,102</b>	<b>2,763,090</b>

## 31.03.2011 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खातों संबंधी समाविष्ट अनुबंध

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
स्थापना व्यय		1,017,061
क) वेतन और मजदूरियां	1,684,946	
ख) भत्ते और बोनस	—	
ग) भविष्य निधि में अंशदान	—	
घ) अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)	—	
ङ) कर्मचारी कल्याण संबंधी व्यय	—	
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व सीमांतलाओं पर व्यय	—	
छ) अन्य : मानदेय	145,000	
<b>कुल</b>	<b>1,829,946</b>	<b>1,017,061</b>

संलग्नक-घ

(राशि रुपयों में)

	चालु वर्ष	गत वर्ष
अन्य प्रशासनिक व्यय		
क. मरम्मत व अनुरक्षण	8,104	11,500
ख. डाक, टेलीफोन, संचार और इन्टरनेट प्रभार	51,734	44,834
ग. मुद्रण और लेखन सामग्री	100,716	11,579
घ. यात्रा और वाहन व्यय	82,017	2,36,496
ङ. व्यावसायिक प्रभार	430,201	427,450
च. कार्यालय व्यय	58,768	42,571
छ. कम्प्यूटर व्यय	22,643	8,360
ज. सुरक्षा गार्ड व्यय	135,628	107,436
झ. टैक्सी भाड़ा प्रभार	229,540	200,209
ञ. पैविलियन का किराया	—	18,750
ट. विज्ञापन व्यय	535,854	—
ठ. सफाई व्यय	19,984	—
ड. विद्युत व्यय	3,237	—
ढ. मनोरंजन व्यय	74,464	—
ण. बैठक व्यय	5,267	—
त. बैंक प्रभार	5,686	535
थ. लेखा-परीक्षा शुल्क	19,036	—
<b>कुल</b>	<b>1,782,879</b>	<b>1109726</b>

**अनुसूची 24 एवं 25**

**तुलन पत्र और आय व व्यय लेखाओं के अभिन्न भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं संबंधी टिप्पणियां**

**क) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां**

**1. लेखांकन परंपरा**

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपराओं एवं अन्य अनिवार्य लेखा मानदंडों के तहत तैयार किया गया है।

**2. स्थायी परिसंपत्तियां एवं मूल्यहास**

क) स्थायी परिसंपत्तियों को संचित मूल्यहास घटाकर अर्जन की लागत पर दर्शाया गया है।

ख) स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास मूल्य विधि पर दिया गया है।

ग) वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में परिवर्धन/कटौती के परिप्रेक्ष्य में वर्ष के दौरान मूल्यहास पर समानुपातिक आधार पर विचार किया गया है।

**3. लेखांकन पद्धति**

न्यास अपने खातों को नकदी/रोकड़ आधार पर रखता था, किन्तु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों हेतु अपेक्षाओं को अनुपालित करने के क्रम में न्यास ने वित्त वर्ष 2001-02 के बाद से लेखांकन पद्धति के रोकड़ आधार को बदलकर प्रोद्भवन आधार को अपना लिया है।

**4. राजस्व मान्यता**

क) न्यास लेखांकन के प्रोद्भवन प्रणाली का अनुपालन कर रहा है और सभी राजस्वों को तब मान्यता दी जाती है, जैसे ही वह प्राप्ति के लिए देय हो जाता है तथा सभी व्ययों को तभी समाकलित किया जाता है जैसे ही वे भुगतान के लिए देय हो जाते हैं।

ख) विशिष्ट परियोजनाओं से आय अर्जन/हानि को संबंधित परियोजना पूर्ण होने के वर्ष में मान्यता दी जाएगी।

**5. निवेश**

निवेश को लागत में वर्णित किया गया है।

**ख) आकस्मिक देयताएं**

आकस्मिक देयताओं को लेखा-बहियों में नहीं दिया गया है, किन्तु उन्हें लेखा-नोट्स के रूप में प्रकट किया गया है।

**ग) लेखा टिप्पणी**

1. अनुसूची 1 में दी गई कार्पस/पूँजीगत निधि में मुख्यतः दो भाग होते यथा-प्राथमिक कार्पस एवं द्वितीयक कार्पस निधि। विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण	प्राथमिक कार्पस निधि (राशि रुपये में)	द्वितीयक कार्पस निधि (राशि रुपये में)	कुल कार्पस निधि
प्रारंभिक शेष	19,50,00,100.00	10,89,77,738.00	30,39,77,838.00
जोड़-वर्ष के दौरान आय एवं व्यय लेखा से अंतरित आधिक्य	शून्य	1,14,02,981.00	1,14,02,981.00
	<b>19,50,00,100.00</b>	<b>12,03,80,719.00</b>	<b>31,53,80,819.00</b>

2. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12'क' के तहत छूट प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

3. रु. 1,00,97,281.00 की राशि को संस्कृति मंत्रालय हेतु वापसी योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है जो कि मंत्रालय से प्राप्त धन से बिना खर्च की गई राशि के रूप में पड़ी है। इस राशि में चौधरी चरण सिंह (जन्मशती) की 90,00,000 रु. की राशि, के एल सहगल की 4,37,519.00 रु. की राशि तथा राम लीला की 6,59,762.00 रु. की राशि भी शामिल है। वह राशि जो किसी भी परियोजना से संबंधित नहीं है तथा एन सी एफ के बचत बैंक खाते में पड़ी है, उसे अब मंत्रालय को वापसी योग्य राशि के अंतर्गत दर्शाया गया है।

4. जहां पर आवश्यक हुआ है वहां पर पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों को पुनः समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

5. अनुसूची 1 से 25, 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और यथातिथि पर समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा के अभिन्न अंग के रूप में संलग्न हैं।

कृते विपुल कुमार एवं कंपनी  
सनदी लेखाकार

ह0/-

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

स्थान : नई दिल्ली

दिना : अगस्त 23, 2011

सार्वजनिक निजी भागीदारी सांस्कृतिक विविधता एवं विरासत  
नेतृत्व स्मारकों का समग्र विकास  
उत्कीर्ण विरासत संरक्षण और प्रबंधन  
शिक्षा राष्ट्रीय विकास प्रकाशन पर्यटक सुविधाएं  
नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी समुदाय सहभागिता  
भू-दृश्य एवं पर्यावरण कला संरक्षण एवं वास्तुशिल्पी  
समाज विकास प्रलेखन आपदा प्रबंधन  
सार्वजनिक निजी भागीदारी सांस्कृतिक विविधता एवं विरासत  
नेतृत्व स्मारकों का समग्र विकास  
उत्कीर्ण विरासत संरक्षण और प्रबंधन  
शिक्षा राष्ट्रीय विकास प्रकाशन पर्यटक सुविधाएं  
नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी समुदाय सहभागिता  
भू-दृश्य एवं पर्यावरण कला संरक्षण एवं वास्तुशिल्पी  
समाज विकास प्रलेखन आपदा प्रबंधन  
नेतृत्व स्मारकों का समग्र विकास